VOL-2, NO.1, 2021

MGCL

CHRONICLE

LAW MAGAZINE OF THE
MAHATMA GANDHI COLLEGE OF LAW, GWALIOR

VOLUME 2
SECOND
EDITION

MGCL CHRONICLE

LAW MAGAZINE OF THE MAHATMA GANDHI
COLLEGE OF LAW, INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION &
RESEARCH, GWALIOR • (VOLUME-II, NO-I, 2021)

CHAIRPERSON ..... YASHPAL SINGH TOMAR
PRINCIPAL ..... S.P.S. RAGHAV
ADVISOR ..... D.P. SINGH
..... DINESH H. SINGHAL
..... T.N.MANISH
..... C.P. SINGH
EDITOR ..... NAUVENDRA SINGH RAWAT
STAFF EDITORS ..... RUBI GUPTA
..... VIMLA PRAJAPATI
..... ANUPAMA VAIDYA
..... ARUN PRATAP SINGH
..... MAHENDRA KUMAR
ART & DESIGN ..... ROBIN SINGH KHENWAR
STUDENT EDITORS ..... AVANTIKA BIRLA
..... RASHI AGARWAL
..... SURBHI GUPTA
..... SARASWATI KUSHWAH
..... AMIT BHALOT
..... AMIT AGARWAL
..... PIYUSH BANJARE
..... PUSHPENDRA SINGH
..... RONAK NAIR
..... SUVRAT SALWAN
GUEST EDITOR ..... RETD. JUDGE A.K. SHARMA
..... DR. PRABUDDHSHEEL MITTAL
..... PRANJULAA SINGH
..... SURENDRA SINGH RAWAT

A JOURNAL OF
MAHATMA GANDHI COLLEGE OF LAW
(INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION & RESEARCH, GWALIOR)
(Campus: Cancer Hills Road, Gwalior - 474001.
Telefax: 91-751-2431760. www.mgcl.edu.in, Email: mgcollegeoflaw@gmail.com)

CONTENTS

Particulars.....Page No.

संस्थान के पितृ-पुरुष .....

CYBER SPACE: THE PARALLEL WORLD.....

FASHION LAW .....

CORONA AND UNCERTAIN TIMES .....

DOES JUDICIARY IN INDIA DESERVE A VACATION? .....

SOCIAL MEDIA EFFECT ON YOUTH .....

NEPOTISM IN INDIA .....

CYBER CRIME .....

DIRTY POLITICS .....

ONLINE LEARNING : FUTURE OF EDUCATION .....

BEWARE, YOUR SMARTPHONE IS LISTENING!!! .....

INTERNET PORN: THE NEW COCAINE OF 21ST CENTURY .....

मेरी कविताएं .....

नई शिक्षा नीति उम्मीद की किरण .....

एल.जी. बी.टी. और धारा 377 .....

कन्या भ्रूण हत्या: एक अभिशाप -चिकित्सक का नजरिया - .....

श्रीमद भगवत गीता मानव जीवन की समस्त समस्याओ की संजीवनी .....

वर्तमान पत्रकारिता का बिगडता स्वरूप : जिम्मेदार कौन .....

मानव अधिकार बनाम न्यायपालिक .....

हिन्दू विवाह संस्कार V/S फैक्टम वैलेट सिद्धांत .....

सुरक्षित भविश्य का साधन बने विधि शिक्षा .....

परमात्मा - प्रकृति - मानव .....

एक मुलाकात .....

संस्थान के पितृ-पुरुष

(भाव्यात्मक शब्दांजलि)

एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा।
आँख हैरान है क्या शख़्स ज़माने से उठा।।

सत्यपथ पर आपने समय किया उपयोग।
प्रेरणापुंज बन सदा दिया दिव्य सहयोग।।

योग शिरोमणि
स्व. श्री दुर्गा सिंह तोमर

यह संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है और परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है. कोई भी वस्तु,परिस्थिति या भाव स्थायी नहीं है। जीवन और मरण भी इसी का अंग है. जो जीवन इस धरा पर आया है. वह निश्चित रूप से यहाँ से जाएगा। हमारा शरीर इस परिवर्तन प्रक्रिया का साधन मात्र है. हालांकि किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं. परन्तु कई बार उससे ऐसी अपूरणीय क्षति होती है जो हमेशा खलती है। किसी भी परिवार में मुखिया की तो छत्रछाया ही काफी होती है,भले ही वे सक्रिय रूप से कर्मण्य न हो. परन्तु कुछ ओजपूर्ण व्यक्तित्व ऐसे होते हैं. जो अपनी वयोवृद्धता के दौर में भी युवाओं की भांति सक्रिय रहते हैं।

ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे हमारे संस्थान के पितृ-पुरुष स्व. श्री दुर्गा सिंह तोमर जी...आप न सिर्फ अपने परिवार बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत थे...उस समय जब शासकीय सेवा में होना ही समाज में सम्मानीय होने के लिए पर्याप्त था तब प्रथम श्रेणी अधिकारी होने के बावजूद अपनी जड़ों से आपका जुड़ाव और समाज के प्रति ज़िम्मेदारीपूर्ण सोच अतुलनीय थी.इसलिए आप संभाग में क्षत्रिय महासभा की नींव के चुनिंदा स्तम्भों में से एक थे. या यूँ कहा जाए कि प्रथम स्तम्भ आप ही थे तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

अपने क्षेत्र को शिक्षा में आगे बढ़ाने कि आपकी सोच का ही परिणाम था संभाग का 'प्रथम निजी विधि महाविद्यालय' जिसने शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किये। आपका आकस्मिक निधन परिवार और समाज के साथ-साथ महाविद्यालय के लिए भी अपूरणीय क्षति है,जैसा कि गीता में कहा गया है कि शरीर नश्वर है परन्तु आत्मा अजर अमर है...आत्मा हमेशा रहती है और एक से दूसरा शरीर बदलती है। नि:संदेह आपकी दिव्यात्मा वर्तमान में भी समाज के लिए प्रकाश पुंज का कार्य कर रही होगी।

जैसा कि श्रीमद्भागवत् में परमावतार श्रीकृष्ण ने कहा है:-

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण: ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता: पदं गच्छन्त्यनामयम् ।।

इसी विश्वास के साथ आपके मार्गदर्शक पदचिन्हों पर चलकर आपके जीवन सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प ही आपके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

"आपका सानिध्य प्राप्त कर चुके महाविद्यालय परिवार के सदस्यों द्वारा आपके प्रति शाब्दिक श्रद्धासुमन"

रूबी गुप्ता

बात लगभग ७ वर्ष पूर्व की है, हाल ही में मेरी नियुक्ति महात्मा गांधी विधि महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के पद पर हुई थी. मेरे लिए सब कुछ नवीन था. शरद ऋतु का समय था मध्यान्ह के समय एक वरिष्ठ व्यक्ति महाविद्यालय के उद्यान में भ्रमण कर रहे थे. अगले दिन पुन: उसी प्रकार नजर आए, नियत समय पर उनका आगमन सुनिश्चित था. मुझे उनके मुख पर अलौकिक तेज का आभास होता था, जो शायद उनकी योग साधना का ही विशेष प्रतिफल था, जिसके बारे में मुझे उस समय कुछ ज्ञात नही था. बाद में मुझे यह जानकारी मिली कि वे कोई और नही बल्कि हमारे महाविद्यालय के चेयरमैन है,तब एक अजीब सी खुशी हुई।

जब वरिष्ठ प्राध्यापक गण एवं वरिष्ठ कर्मचारियों से आपके बारे में संस्मरण सुनने को मिले तो आपके बारे में जानने की उत्सुकता और आप से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बढ़ चली थी. आपसे ना मिलने पर भी आपको हर एक कर्मचारी की समस्या का परिवार के सदस्यों की तरह भान रहता था. अब आप के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया अपने आप पर गर्व भी महसूस हुआ कि मै ऐसे व्यक्तित्व की छत्रछाया में अनुभव प्राप्त कर रही हूं।

समय गतिमान था महाविद्यालय में सेमिनार तथा महाविद्यालयीन पत्रिका के प्रकाशन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मंच व्यवस्थापक का कार्य मुझे सौंपा गया.उस कार्यक्रम में पहली बार आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कार्यक्रम के दौरान आप काफी प्रसन्नचित्त मुद्रा में थे. कार्यक्रम के दौरान आपसे की गई दो पल की वार्ता स्मरणीय रही और उसके पश्चात आपने मुझे अपना आशीष भी प्रदान किया. कार्यक्रम में आपके द्वारा "वसुधैव कुटुंबकम" एवं "धर्मो रक्षति रक्षत:" की उक्ति के संबंध में एवं योग साधना पर अपना जो वक्तव्य दिया गया उससे ज्ञात हुआ कि आप शास्त्रों के और योग साधना के भी विद्वान है.

लगभग एक माह बाद आपके निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई. अंतिम दर्शन के दौरान भी आपके मुख पर उसी अलौकिक तेज का आभास हो रहा था. महान योगी, नायक प्रखर व्यक्तित्व को मेरा शत-शत नमन

महेंद्र कुमार

आदरणीय योगी श्री दुर्गा सिंह तोमर जी के संदर्भ में कुछ कह पाना कठिन होगा। मै १३ वर्ष पूर्व ग्वालियर में आया था तो सबसे पहले मुझे उन्ही के दर्शन प्राप्त हुये थे जब मैंने उनको देखा तो कुछ क्षण तक देखते रह गया मुझे प्रतीत हुआ कि मै किसी ईश्वर के सामने खड़ा हूँ। मेरे जीवन का यह सौभाग्य रहा कि मैंने उनके संरक्षण में ०७ वर्ष तक लगातार कार्य किया.. उनके अन्दर जो खासियतें थी, उनका वर्णन करना मन को आनंदित कर देता है। उनके जैसा संरक्षक मिल पाना मुश्किल है। वो महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी का ध्यान रखते थे। वर्तमान समय में वे हमारे बीच नही है परंतु उनका आशीर्वाद रूपी साया हमारे साथ प्रतीत होता है।

टी.एन. मनीष

एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में जब संघर्षों की गोद में पलकर निखरता है तो उसका व्यक्तित्व कुंदन की भांति चमकता है, और समाज के लिये वह अकेला ही संस्था बन जाता है। परम आदरणीय देवलोकवासी योगीराज दुर्गा सिंह तोमर जी भी ऐसे ही बिरले व्यक्तित्वों में शुमार है। उनके सानिध्य और मार्गदर्शन का अवसर तो मुझ अकिंचन को नही मिल पाया लेकिन मै सौभाग्यशाली कलमकार हूँ जिसे इस विराट व्यक्तित्व से गहरे जुडे संपर्कों से उनके संग बिताए क्षणों को कलमबद्ध करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी कॉलिज ऑफ लॉ के चेयरमेन आदरणीय यशपाल सिंह तोमर जी के साथ मै "साहब" की अनेकानेक स्मृतियों को लिपिबद्ध करने में जुटा हूँ। उनकी योग साधना और कर्म से जुडी कृतियों "योगपथ" और "कर्मपथ" का आद्योपांत अध्ययन यही दर्शाता है कि एक सांसारिक व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति से अध्यात्म जगत में गृहस्थ आश्रम के निर्वहन के साथ साधना के शिखर को बिना असीम गुरुकृपा के नही छू सकता। चिर स्मरणीय दुर्गा सिंह जी ने अपने गुरू से "आशीर्वाद स्वरूप मेरे परमप्रिय दिव्य आत्म तेजांश" की स्नेहिल उपाधि हासिल की। महात्मा गांधी कॉलिज ऑफ लॉ के संस्थापक सम्माननीय स्वर्गीय दुर्गासिंह जी को मेरा शत-शत नमन।

अनुपमा वैद्य

हमारे पूर्व चेयरमैन आदरणीय श्रीमान दुर्गा सिंह तोमर जी के बारे में व्याख्या कर पाना बड़ा मुश्किल है वे मुझे देवता समान प्रतीत होते थे. उनके साथ महाविद्यालय में कार्य करने का अवसर मुझे बहुत ही कम समय के लिए प्राप्त हुआ था. सर समय के बहुत पाबंद थे. वह प्रत्येक दिन दोपहर ३:०० बजे आते थे और आने के बाद सभी को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर महाविद्यालय के कार्य के संबंध में पूछना और क्या करना है यह बताना उनका नियम था. वे स्टाफ के हर सदस्य के लिए उसी प्रकार चिंता करते थे जैसे कोई राजा अपनी प्रजा की चिंता करता है. उन्हें महाविद्यालय से बहुत लगाव था. मुझे आज भी ऐसा ही लगता है जैसे कि वे हमारे साथ अभी भी महाविद्यालय में उपस्थित है. ईश्वर से प्रार्थना है पूर्व चेयरमैन सर की आत्मा को शांति प्रदान करें और हम सभी लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलने की शक्ति प्रदान करें.

CYBER SPACE
THE PARALLEL WORLD

NAUVENDRA SINGH RAWAT

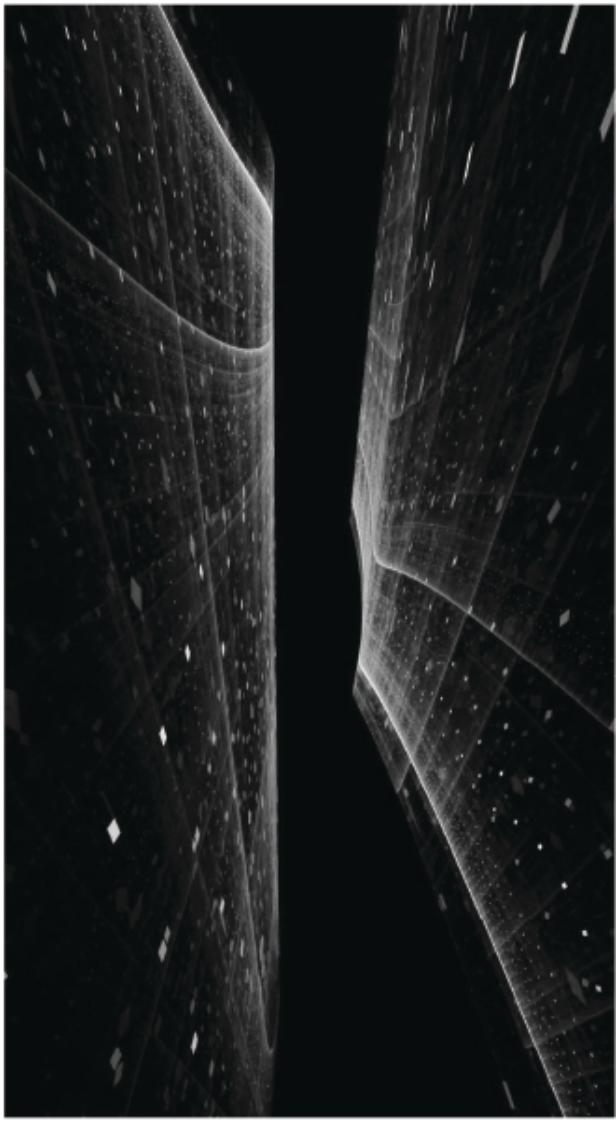

The term Cyberspace was coined by Sci-Fi writer William Gibson in his 1982 short story "Burning Chrome". According to the New Oxford Dictionary of English, 'CyberSpace' is the notional environment in which people communicate over computer networks.

The term Cyberspace was coined by Sci-Fi writer William Gibson in his 1982 short story "Burning Chrome". According to the New Oxford Dictionary of English, 'CyberSpace' is the notional environment in which people communicate over computer networks.

cyberspace is a illusive space, it has no physical foundation which can be seen,touched,felt or sensed in real. It essentially speaks to the interconnected space between PCs, frameworks, and different systems.

Cyberspace refers to the virtual PC world, which is an electronic medium used frame a worldwide PC system to encourage online correspondence. cyberspace located in no specific geographical location but available to anyone, at anyplace in the world, with access to the net."

CYBER CRIME

The IT Act 2000 or any legislation in India does not define or mention the term Cyber Crime. It can be globally considered as the somber face of technology. The only difference between a conventional crime and a cyber-crime is that the cyber-crime involves in a crime related to computers.

Some Popular Cybercrimes in present time are Phishing scams,Identity Theft scams, Online Harassment,Cyberstalking and Invasion of privacy. And on the other hand the cybercrime trends of 2019 are

- **Advanced phishing kits.**
- **Attacks via smartphones.**
- **Vulnerabilities in home automation and the Internet of Things. ...**
- **Utilizing artificial intelligence**

CYBER SECURITY

Cybersecurity denotes the technologies and methods intended to protect PCs, networks, and data from unlawful penetration, shortcomings, and assaults transported through the Internet by digital delinquents.

ISO 27001 (ISO27001) is a international Cybersecurity Standard that delivers a model for making, applying, functioning, monitoring, reviewing, preserving, and improving an Info Security Management System.

The Ministry of Communication and Information Technology under the government of India gives a methodology plot called the National Cybersecurity Policy. The aim of this government body is to protect the general and personal infrastructure from cyber-attacks

AWAKENING PEOPLE

The lack of information security awareness among users, who could be a simple school going child, a system analyst, a developer, or even a chief of a company, leads to a variety of cyber vulnerabilities. The awareness policy characterizes the following actions and initiatives for the purpose of user consciousness, education, and training –

- **A complete awareness program to be promoted on a national level.**
- **A comprehensive training program that can cater to the needs of the national information security.**
- **Enhance the effectiveness of the prevailing information security training programs.**
- **Endorse private-sector support for professional information security certifications.**

CONCLUSION

Cyber Laws are the only savior to combat cyber-crime. It is only through stringent laws that unbreakable security could be provided to the nation's information. The I.T. Act of India came up as a particular act to handle the issue of Cyber Crime. The Act was sharpened by the Amendment Act of 2008.

Cyber Crime is committed from time to time, but is still barely reported. The cases of cybercrime that reaches to the Court of Law are therefore very few. There are practical challenges in gathering, storing and appreciating Digital Evidence. Thus the Act has miles to go before it can be truly effective. and moreover peoples awareness will play a more important role in this.

And our college is going to give this opportunity to all very soon.

FASHION LAW

PRANJULAA SINGH

Intellectual Property Rights might seem like a dry subject to discuss within a creative domain. This assumption is a far cry from reality. The Fashion Industry like all other creative sectors desperately needs regulatory laws for their ongoing industrial practices. Before we get into the correlation of the two sectors of Fashion and Law, let's discuss some common jargons associated with the two.

INFRINGEMENT:

an action that breaks a rule, law, etc. If the rights holder hasn't given permission to use the copyrighted work and it doesn't fit under the exceptions that are stipulated in copyright law, then they may file an infringement lawsuit. The well-known footwear brand Vans has recently taken the British retailer, Primark, to court for allegedly selling **'intentional copies'** of two of their iconic trainers.

COUNTERFEITS:

Made in imitation of something else with intent to deceive. Counterfeiters are blatantly using a brands' name in their domain name, with all the visual content they can copy to make it look like a professional website. "When we asked survey respondents how they judged a product to be authentic, 63% said it was by the reviews."

(although patterns appearing on fabric can be copyrightable)

Knockoffs:

Knockoffs are a copy that sells for less than the original, broadly : a copy or imitation of someone or something popular. For example: Wedding Lehengas, sports fashion, purses

Every time a new design is widely copied, fashion's most powerful marketing force kicks in: the trend. Copying makes trends, and trends sell fashion. And as a design is copied, it spreads through — and usually down — the market.

COPYRIGHT LAW

As per the Indian copyright act, 1957, In the case of an artistic work, copyright means the exclusive right:

- **To reproduce the work;**
- **To communicate the work to the public;**
- **To issue copies of the work to the public;**
- **To include the work in any cinematograph film;**
- **To make any adaptation of the work.**
- **The term of copyright depends on the type of work. Generally, copyright in published artistic work lasts for 60 years from the year following the death of the artist.**

DESIGN LAW

As per The Designs act, 2000 of India, "Design" means features of shape, pattern, configuration, ornament or composition of colors or lines which is applied in three dimensional or two dimensional or in both the forms using any of the process whether manual, chemical, mechanical,
separate or combined which in the finished article appeal to or judged wholly by the eye.

The total time for which a design can be registered is 15 years. Initially the Copyright in Design is registered for 10 years, which can further be extended by 5 years on making an application for renewal.

Exceptions to this law include:

- it does not include any mode of construction or any trademark as defined under clause (v) of sub-section (1) of Section 2 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958.
- It does not include 'property mark' as defined in section 479 of the Indian Penal Code, 1860.
- It does not include any artistic work as defined in clause (c) of section 2 of the Copyright Act, 1957.

Intersection of design act and copyright act:

- Section 15 of the act hints an overlap and thus, conflict between the design and the
copyrights act.
- If the alleged infringer had come up with the same work independently, copyright would not be enforceable. This is not the case for design registration.
- Unlike copyright, design registration protects you against another person creating a similar or identical design regardless of whether the infringer intended to copy your work or not.

CORONA AND UNCERTAIN TIMES

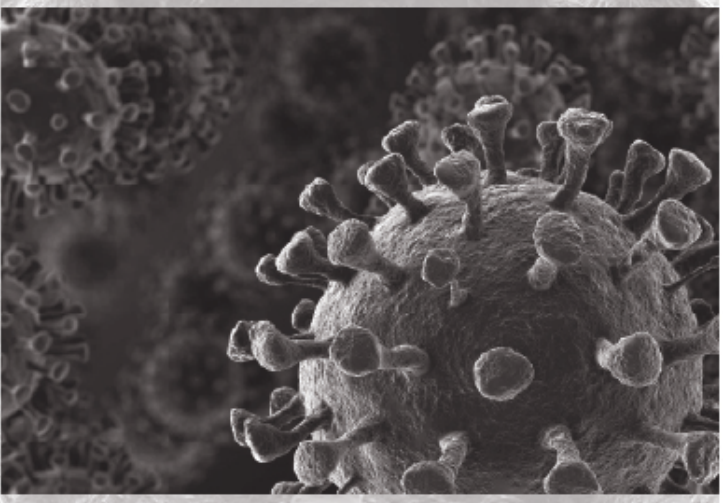

AMIT AGARWAL

Amid the uncertainty of this novel corona virus global pandemic,everyone in our community is facing tremen dous pressures, coaching yourself through these tough times is really necessary.

We have to constantly keep ourselves motivated.

Nearly 9 months earlier no one was introduced to this deadly word "Novel Corona Virus". Everybody was in own free space, humans did not knew what being caged means. Visiting a zoo with the kids and seeing those caged animals had no idea that we can also be on their part. This is what COVID-19 has brought us. The lesson, a lesson of self realization, that nature is above all.

Howsoever humans think everything is controlled by them but the truth is Nature controls all. There are new concepts that we heard like "Work from Home" .It comes with its own merits and demerits. People are struggling to work home with their family members around, especially kids around. Life has got impacted for everyone be it children, house-wives, working mothers, senior citizens. The living routine of people has got disrupted. It is also taking a toll on the mental well being of everyone. Kids cannot go out to parks, play, tuitions, schools which certainly affects and restrict their physical activity. For working professionals who had their house on loans , EMI and lost their job due to COVID have nothing in hand. They have sleepless nights and scars of earning a living and surviving. Each person's emotional, psychological and physical well-being as well as their families, friends and pets are getting affected. Life is filled with uncertainty, especially at times like this. While many things remain outside your control, your mindset is key to coping with difficult circumstances and facing the unknown.

What happens next will depend on response, but without vaccine it may be years before virus runs its course. China, where the corona virus was first identified at the end of last year, had earlier locked down a region of 60 million people and shut its borders to foreigners to control the disease. Even after those stringent measures, the virus surfaced again in the capital. But the problems that are coming with the lockdown measures, such as lack of access to food, necessary medications and other health care are very bad. Reopening schemes could lead to more infections and needed to be carefully calibrated to work well, she said.

"It's a tough decision for governments."

Uncertain about the future, people ask stargazers for corona virusanswers. People seek advice and comfort for their disrupted lives amid sometimes chaotic messaging from leaders. Many industries like Travel &Tourism, Event industries, Movie industry has been hot drastically. In the midst of lay-offs, a possible economic contraction and shrinking job opportunities, a sense of fear and uncertainty is palpable among the Class of 2020, who will enter a world changed by the Covid-19 crisis to look for their first jobs.

However long COVID-19 impacts our lives and our work, eventually life will go back to normal. And the world will understand that we are all connected and better together than apart.

DOES JUDICIARY IN INDIA DESERVE A VACATION?

SURABHI GUPTA

The judiciary of India plays a very significant role in maintaining law and order in the country. Much like the heartbeat of a living creature that never stops, the Judiciary has never stopped operating in the country either. It is a person fact that the bodily functions of all the living creatures on Earth can only run till their heart does. Similarly, a functioning nation is only possible till the judiciary of that nation continues to run, without a break.

While the Indian Constitution was being drafted, the makers of the Indian Constitution made sure that the judiciary remains independent. They realised the utmost importance that the judiciary of any country holds. As a result, the third pillar of the democracy, the judiciary, was kept independent and different from all the other aspects of the functioning of the nation.

Hon'ble Supreme Court of India is the court of highest rank where all the cases related to interstate disputes, dispute between the Centre and State and cases that are appealed after the verdicts has been passed by the High Court follows the Supreme Court in terms of power. There is a High Court in almost all the states, expect a few where a group of states share the same High Court. The High Court is then followed by the District and Session Courts in hierarchy.

It is apt to say that the Judiciary of the nation is highly complex. It follows the adversarial system of justice. As per the system, the lawyers for both the victim and the accused present their case in front of the Judge, who remains partial throughout the proceeding. The complex judicial system of India is time taking. The cases in the county are fought for years at a stretch till it reaches final verdict.

It is believed that the backlog cases in all the courts, Supreme Court, High Courts, District and Session Courts, are heaping up every day. Few cases have been fought regularly for over a few decades. To add to the problem of the complex system, there are certain instances when the hearing is delayed because of the irresponsible behaviour and laxattitude of few judges. There are also delays in the functioning or the formalities of the court because of the use of outdated technology. Not much is done to equip the judiciry of the nation with the latest technologies. Gadgets as simple as high speed computers have not made their way to the courts of India. The problem of the delay in the delivery of justice is one major reason behind the diminishing faith of the common people in the judiciary of India.

There is a perpetual rise in the number of the pending cases even after the judiciary functions on all the working days. Except on national holidays and weekly off on Sundays, the judiciary of India never rests. There are many reasons behind the sluggish speed of the proceedings of the case in India, the after-effect of which has direct impact on the lives of the common man.

In such a condition, if the judiciary of India goes on a vacation the nation will reach a stage of utter pandemonium. The result will be a lawless country with excessive confusion. Owing to the delay in the delivery of verdict, the culprits find it easy to commit crime and get away with it. In this scenario, where the judiciary is functioning relentlessly, many accused still have the audacity to plan most heinous crimes. With the judiciary on vacation, their courage to break the law would increase manifold.

As a result, even more pressure would fall on the shoulders of the judiciary as soon as the vacation comes to an end. If all the doctors in India plan to go on a vacation together, the country will reach into an unimaginably pitiable condition. Likewise, if the judiciary of India goes on a planned vacation all together, the country would cease to exist as we know it.

For the greater good, it is necessary to compromise personal desires. If the personal life of the people involved in the functions of judiciary is concerned, they are also entitled to a vacation like any other citizen of India. They must also get an opportunity to lead a normal life, away from the humdrum affairs every once in a while. Spending some time away from the tiring proceedings of the case will help them in getting updated on reading book. This, in turn, will add to their knowledge and give them a better insight. After coming back from the break, they would be refreshed and relaxed. This would bring a remarkable increase in their efficiency and productivity at work.

But this has to be pre-planned. A vacation should be given every year, but not to everyone at one time. Instead of going on a vacation all together, the officials can be allocated specific time for the vacation on rotation. In such a situation, the judiciary will function as it is and purpose of vacation for those working in the judicial sector will also be realised. The judiciary should not run away from their responsibility. Vacation is important but they should not be prolonged. Prolonged vacation willonly add to the existing problem of backlog cases.

SOCIAL MEDIA EFFECT ON YOUTH

AVANTIKA BIRLA

Social media is probably the greatest technological advancement achieved in recent times. It's a great platform to access knowledge, information, data, connectivity, advertisement, creating awareness and so on so forth.Social media refers to all applications and websites or blogs that enable people around the globe to interconnect via the internet, chat, video call and share contentamong many other functionalities it offers to its users.Some of the common and widely used social media platforms include Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat many among others.

Youth rate is significantly shifting into social media so its influences are much on youth. This craze of social media has led to a host of questions regarding its impact on society. While it is agreed that the social media affects people's living styles, it is an ongoing process to identify the nature of these influence in every society and country specially on the youth.

Despite the fact that almost everyone in the community is connected to at least one social media platform, the youth and teenagers are the leading and most fanatic of these social platforms to the point that they even social network while in class or even at church. It is to this light that researchers have found that these social sites impact the lives of our youth in a society a great deal in terms of morals, behavior and even education-wise. Studies show that the age group of 12-21 access social media more than any other.

T.S. Eliot has rightly defined social media for the youth, "Distracted from distraction by distraction".

The use of social media has both negative and positive impacts on our youths today. The positive impacts of social media on the youth today include keeping connections between friends when they're not always able to see each other, keeping youth up to date with things that are going on around the world rather than just in your area, helping develop social skills, a lot of friendships can stem from a social website and at last it is also a fun way to interact with your peers, other than seeing them in person.

Social media has also allowed teens to develop a voice of advocacy. The ability to see who is following who and the reactions from posts reinforces a sense of belonging. This can be a very positive influence when exposed to the right outlets, especially for teens who do not have a large group of friends. The easy availability of relevant knowledge and information through social media is of course a big boost academically for the youth.

Social media definitely helps teens learn to take criticism from strangers without being drawn into a digital dog fight.

This can be a real challenge for young minds looking to express themselves, and a valuable lesson to learn before getting a job. In the current situation where the world is suffering from pandemic, social media has made it very easy to attain knowledge and conduct businesses globally.

On the flip side, from the dawn of internet and social networking sites human resources of contemporary world have become more social virtually but less practically. This virtual life is isolating the youth from other fellow beings thereby causing a number of effects such as physical, emotional, mental and psychological issues in these youths. This can in turn lead to depression, anxiety and many other problems.It exposes young teens to online predators who get to woo them into sexual acts, exposes them to pornographic content which results into contraction of sexually transmitted diseases such as HIV and early deaths of our young generation. Spending long hours chatting on social media sites also decreases productivity amongst the youths.

Also, some youth are easily influenced so they may feel the need to change their physical appearance by comparing themselves to the next person they see in the media. The youth of today is forgetting the traditional values of our country and turning to western culture because of borrowed knowledge available on the social network.

Rightly quoted by Pete Cashmore, "Privacy is dead, and social media holds the smoking gun".

In conclusion, social networking has been proved to have both positive and negative effects on our youth as discussed above. Though internet has become indispensable to modern lives and has revolutionized our lives, still great degree of maturity is expected from the youth in order not to fall prey to its pitfalls. Youth must be taught to analyze the data and able to judge the information that contaminates our values which will certainly benefit our country, the companies with a sense of greatness in life.

Accessibility of social media by youth needs utmost discretion, surveillance by parents and guardians on current matters like the usage of social media and warn them of its negative impacts to them when misused or overused. The education curriculum also should be revised so that it can include social media studies in its disciplines so as to alert students that they need to be careful in their social media usage.

As Albert Einstein once said,

"I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots".

NEPOTISM, BOLLYWOOD AND BEYOND

NEPOTISM IN INDIA

RASHI AGARWAL

Referring to the latest Sushant Singh Rajput's suicide in film industry we cannot imagine what pain and agony he must have gone through that a person with such intellect and balanced head on his shoulders can take a decision like that. This is when a person thinks he has failed completely in life and cannot stand on his/her own feet again then their mind stops working and completely looses control of surroundings around them the they take this step. But he is not the first person in Bollywood industry who has taken this step, there are many. To name a few Jiah Khan, Pratyusha Banerjee, Preksha Mehta, Kushal Punjabi, Silk Smitha, Sushant's manager Disha Salian who committed suicide just days before Susant's suicide is a gift given to them by the industry which is full of glamour and shiny. Deep inside there is favouritism, nepotism which directors do. They give high hopes to new comers who are outside of the industry and they take their advantage and does not give them even a single chance. People who come to work in Bollywood from all over India leave their families, their carrier and even some of them their basic education and are left with nothing at all when their dreams does not get fulfilled. Bollywood is not a bed of roses but the time they understand it becomes too late for some, when they loose their half lives struggling, giving auditions, running from pillar to post, directors to production houses and those who understand it mid way take another paths and shift their carrier plans.

Karan is called the "flag-bearer of nepotism" has been held responsible for the suicide and death of Sushant Singh Rajput's death. Many people like Manoj Bajpayee, Ranvi Shorey, TaapseePannu and others have come out in open and talked about the outsider vs insiders debate in the industry. It is called slow poison, mental pressure and not giving a chance to outsider like him so he makes a decision to end his life. The trolls trending on Twitter like

"#BoycottKhans", "#SupportSelfMadeSRK", "#FIRForSushantUnder302", "#JusticeForSushantSinghRajput", "#CBIEnquiryForSushantSinghRajput"

are demanding for justice for Sushant Singh. But talking about nepotism it is not only in movies but it exists today in every field be it including business, politics, entertainment, sports, religion and other activities but since Bollywood is more heard of and glamourous and celebrities are exposed every day we get to know of this in film industry only. Last year it was reported that 15 of the top 20 business groups in India are family-owned. They collectively manage over ₹26 lakh crores of assets. Now, not everyone who has succeeded was born with a silver spoon. We know the rags to riches story of Dhirubhai Ambani. But we also know the story of his two sons.Most of these individuals are talented, qualified and skilled. While they work hard, they also are aware of the reality that no matter how much they excel, they will never be able to join the ranks of the families they work for.

Indian Politics has seen the most of nepotism in its history, despite ours being a democratic country. Right from Motilal Nehru to Rahul Gandhi (Congress Party), India has been ruled by a dynasty, which is still trying to perpetuate its rule.Everyone has the right to stand a fair chance in all professional fields and any possible hurdle in the way of achieving this right should be removed. It will only be when the hurdles are removed that we get talented and smart politicians who take the country to new heights.

Nepotism cripples all of us, in every profession, at every socio-economic level

– and nobody can refute that.

CYBER CRIME

AMIT KUMAR BHALOT

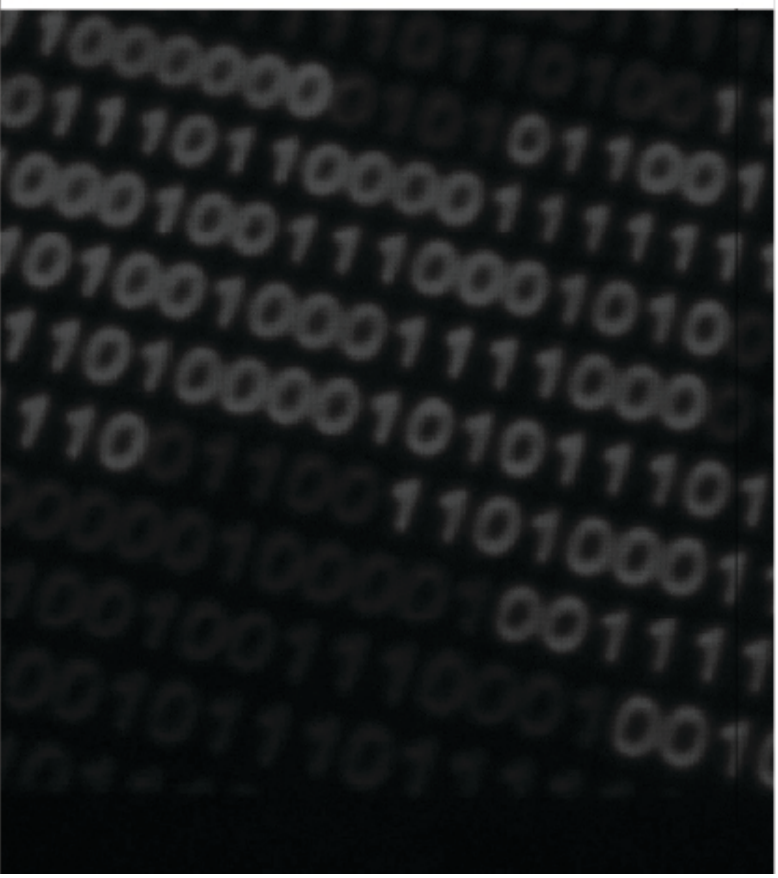

Cyber crime is the unlawful acts where the computer is used as a tool or a target or both. Cyber crime is serious offence that can ruin the life of an individual, brings embarrassment to an individual, or even endanger national security. The cyber crime is increasing swiftly with the usage of advancement technology by the criminals.

Advancement in the field of information and communication technology has proven to be great milestone in our day to day life. However it brings along with it several vulnerabilities that are often exploited by cyber criminals. The internet and digital technologies continue to transform our society by driving economic growth, connecting people and providing new ways to communicate and trade with one another. The growing role of cyber space in society has opened up new threats as well as new opportunities.

Advancement in the field of information and communication technology has proven to be great milestone in our day to day life. However it brings along with it several vulnerabilities that are often exploited by cyber criminals. The internet and digital technologies continue to transform our society by driving economic growth, connecting people and providing new ways to communicate and trade with one another. The growing role of cyber space in society has opened up new threats as well as new opportunities.

As per the National crime record bureau's annual report of 2015 on crime in India , case reported under cybercrime in India for year 2015 are 11592, which is an increase of 20.5 % over year 2014. I t is 20% growth in a year which itself is huge growth.

There are many types of cyber crime few are explained below :-

HACKING :
this is a type of crime where a person's computer is broken to access his personal or sensitive information.

CYBER STALKING:
it is an online harassment where the individual is harassed by the message and email. In this crime the stalker know the individual who stalk with the the help of internet.

RANSOMWARE:
this ransomware enters your computer network and encrypt your files using public key encryption, and unlike other malware this encrypt key remains on the hacker server. Attacked user is then asked to pay huge ransom to receive this private key.

- D DOS ATTACK
- SPAM
- PHISHING
- CYBER FRAUD
- CYBER TERRORISM

As we all know that the cyber crime is increasing day by day due to huge dependencies in digital technologies which are also unavoidable situation to cope up with the growth of the digitalization.

Being the student of Law background keeping keen interest in Information technologies I would say in my opinion that IT act 2000 and IT Amendment Act 2008 which has been passed by the parliament is not sufficient or we can say it is not at par with the situation to tackle the growing trend of cyber crime. The act which has been provided is not sufficient and the same is not implemented as it should be. The Government should bring the drastic change in the IT act seeing the cyber crime situation in our country.

The information technology Act 200 was passed by parliament and received assent of President of India on 09 Jun 2000. The act was published by Ministry of law, Justice and company affairs. Govt of India vide Gazette of India notification No DL-33004/2000. The IT amendment Act 2008 was passed by parliament on 05 Feb 2009.

Some provisions of IT Act are mentioned below :-

SECTION 65 :

Section 65of IT Act which provide imprisonment upto three years or with fine which may extended upto two lakh rupees or with both if he Tampered with computer source document.

SECTION 66A :

Section 66A of the Act provide imprisonment upto three years or with fine or with both for sending offensive message through communication service etc.

SECTION 66F :

Section 66F of the Act which provide Imprisonment which may extend to imprisonment for life for cyber terrorism.

Likewise there are various punishment under the act which even provide for the imprisonment of the life, inspite of that the cyber crime is increasing day by day.

Some Basic step to avoid the Cyber Attack at personal level

Individual must be cautious about opening any attachment or downloading files you receive regardless of who sent them.

One must use antivirus, antispyware and firewall software.

One must update all your software and also enable phishing filter.

One must use a separate email account for things like shopping online, personal etc.

DIRTY POLITICS

PIYUSH BANJARE

When we hear the term politics, we usually think of the government, politicians and political parties. For a country to have an organized government and work as per specific guidelines, we require a certain organization. This is where politics comes in, as it essentially forms the government. Every country, group and organization use politics to instrument various ways to organize their events, prospects and more.Politics does not limit to those in power in the government. It is also about the ones who are in the run to achieve the same power. The candidates of the opposition party question the party on power during the session of parliament. They intend to inform people and make them aware of their agenda and what the present government is doing. All this is done with the help of politics only.The term Dirty politics refers to the kind of politics in which moves are made for the personal interest of a person orparty. It ignores the overall development and hurts the integrity of the country. If we look at it closely, there are various constituents of dirty politics.They fight for the seats and majority.

The majority of politicians are corrupt. They abuse their power to advance their personal interests rather than that of the country. We see the news flooded with articles like ministers and their families involving in scams and illegal practices. The power they have makes them feel invincible which is why they get away with any crime.Many books on politics are being published,wereas the movies are also made.Still the same conditions are there in every country

Before coming into power, the government makes numerous promises to the public. They influence and manipulate them into thinking all their promises will be fulfilled. However, as soon as they gain power, they turn their back on the public. They work for their selfish motives and keep fooling people in every election. Out of all this, only the common suffers at the hands of lying and corrupt politicians.If we look at the scenario of Indian elections, any random person with enough power and money can contest the elections. They just need to be a citizen of the country and be at least 25 years old. There are a few clauses too which are very easy.The strangest thing is that contesting for elections does not require any minimum education qualification. Thus, we see how so many uneducated and non-deserving candidates get into power and then misuse it endlessly. A country with uneducated ministers cannot develop or even be on the right path.

We need educated ministers badly in the government. They are the ones who can make the country progress as they will handle things better than the illiterate ones. The candidates must be well-qualified in order to take on a big responsibility as running an entire nation.In short,

we need to save our country from corrupt and uneducated politicians who are no less than parasites eating away the development growth of the country and its resources. All of us must unite to break the wheel and work for the prosperous future of our country.

And at last I would request you ,before giving your inititial vote to such an candidate, go through his/her past history whether he is a deserving or not for the post.

By our such practice we can keep our country's diginity and can also support in its economic situations also.

ONLINE LEARNING :
FUTURE OF EDUCATION

PUSHPENDRA SINGH

The Online education has become in the course of the most recent couple of years and has encountered standard acknowledgment. With an online class, you get the chance to control your learning condition, which at last encourages you build up a more profound comprehension of your degree course.

At the present time, the Coronavirus pandemic is constraining worldwide experimentation with remote teaching. There are numerous pointers that this emergency will change numerous parts of life. Education could be one of them if distant learning ends up being a triumph. At this moment, over 98.5% of the understudy populace are stuck at their homes and accordingly, there has been a spiky growth in the online education industry.

MEANING OF ONLINE EDUCATION :

Online learning – Education in which instruction and content are delivered primarily over the Internet. (Watson & Kalmon, 2005)

Online Education means The non existence of a physical classroom, flexible schedules, and reduced personal interactions. In online study students and educators collaborate over the Internet. Online education is taking courses without going to a physical school or college.

Online learning can take place synchronously or asynchronously :

In synchronous systems, participants meet in "real time", and teachers conduct live classes in virtual classrooms. Students can communicate through a microphone. In asynchronous (or "selfpaced") learning students are expected to complete lessons and assignments independently through the system. Asynchronous courses have deadlines just as synchronous courses do, but each student is learning at his own pace.

WHY WE NEED THIS ?

We are in the century where everything is possible and acceptable. For example, students are studying at home by utilizing computer which is called online schooling.

Online learning is a great alternative to traditional universities, especially for person who want to study but can't afford the time and money to take real courses.

Online education can be a highly effective substituted method of education for the students who are well organized and having high degree of time management skills and matured, self-disciplined and motivated,.

ADVANTAGES OF ONLINE EDUCATION

Students have the chance to study free of cost, as par their suitability of time.

It represents a great way to study many fields and to boost the level of self-motivation.

An access to all resource helps participants learn wherever they are, leaving them the freedom to choose the time for study.

With good internet connection Online education is able to provide learners a flexible learning environment from any location.

Students have facility to attend the online classes from any location as par their convenient.

Anyone can enroll into any online degree program offered by any universities all over the world.

Online education is more efficient than traditional.

Students can direct their own learning paths.

Provides the modularity for students to choose their order of coursework in a manner that best suits their respective learning styles. This has been especially desired among adult learners.

Online education is Cost Effective and Reduces travel time also.

Helps to build self-knowledge and self-confidence and encourages student responsibility

DISADVANTAGES OF ONLINE EDUCATION

Learners who has low motivation and bad study habits can be fall behind easily.

Students may feel separated from classmates or instructor and Can be get frustrated Working Alone.

In online education there is Lack of personal community and connection and student customization also.

Student may Missing out non-verbal communication.

In a virtual classroom, lab work is difficult to emulate.

Slow Internet connections or incompatible computers make accessing course difficult.

Instructor may not always be available.

Online learning can be difficult technically , if it is meant for disciplines that involve practice.

Online learning cannot offer human interaction, which gives a person opportunity to develop properly.

Cost is equivalent if not more than traditional school

CONCLUSION

The Online education has become in the course of the most recent couple of years and has encountered standard acknowledgment. With an online class, you get the chance to control your learning condition, which at last encourages you build up a more profound comprehension of your degree course.

This is in areas like medicine where functional exercises of managing live patients, taking their temperature, checking their blood tests, for example, are still a basic piece of the curriculum.

Courses like mechanical engineering and piloting still require the live experience of operating machinery and may not be totally on the web; just a piece of the framework can be made on the web.

However, New models of learning are continually jumping up in the market, furnishing students with varied opportunities to mold their education into something that fits them, not the other path round. The future of online degree education looks encouraging and opens up education to a bigger area of the populace than at any other time.

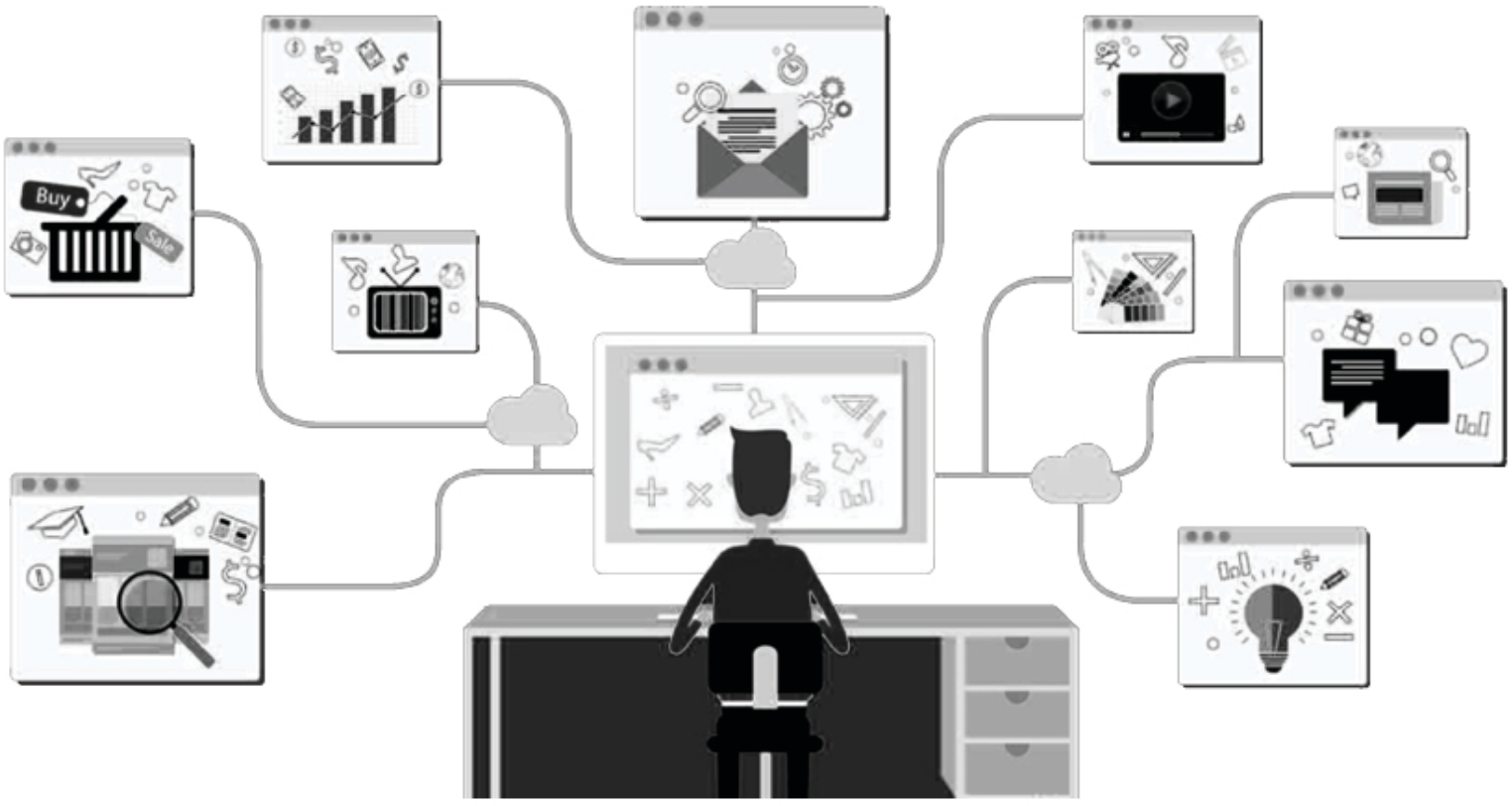

BEWARE,
YOUR SMARTPHONE IS LISTENING!!!

RONAK U NAIR

1. We live in an age where almost every person owns at least one device that has a microphone or a camera. It can be a smart phone, smart watch, smart speaker or a smart TV. These so called "smart devices" are not designed for privacy and security. Not only do they do a poor job of protecting our communications, they also expose us to new kinds of
surveillance risks.

2. Let it be listening to music on Amazon Echo, watching online video content on a Smart TV, using the Google Maps through smart phones or tracking the number of steps one takes through smart watches; these devices have entered deep into our lives. Smartphones are powerful tools that make our lives easier in many ways. Since they are equipped with a variety of sensors, store large amounts of personal data and are carried throughout the day by many people, including in highly intimate places and situations, they also raise various privacy concerns.

3. One widespread fear is that smartphones could be turned into remote bugging devices. For years, countless reports have been circulating on the Internet from people who claim that things they talked about within earshot of their phone later appeared in targeted online advertisements, leading many to believe that their private conversations must have been secretly recorded and analyzed.

MODUS OPERANDI

4. The scene plays out like a thriller Bhatt movie: you pull out your phone, and you see an ad for trip to Goa. Wait a minute, you think. Didn't I just have a conversation about having a trip to Goa with my friends? Is my phone… listening to me? Why, yes, it probably is. When you think about it, smartphones are equipped with an arsenal of monitoring equipment: multiple microphones and cameras are designed to absorb audio and video. While these tools may be useful for advertisers, they are also a goldmine for enemy countries.

5. Five of the top ten most profitable mobile companies in India are Chinese companies mainly Xiaomi, Oneplus, Vivo, Oppo & Lenovo. Just imagine what China can actually do with this data. All individuals in their own capacity or by knowing somebody who is holding classified information
may be subjected to such deception.

Such data can be prove to be very useful in furthering enemy's Information
Warfare (IW) strategy

6. In mid-2018, a reporter experimented to see just how closely smartphones listen to our conversations. To test his phone, the journalist spoke pre-selected phrases twice a day for five days in a row. Meanwhile, he monitored his Facebook feed to see if any changes occurred. Sure enough, the changes seemed to arrive overnight. One of his test phrases involved going "back to university," and by the next morning, the reporter saw ads for summer courses. He then changed up his test phrase to "-cheap shirts," and quickly saw advertisements for low-cost apparel on his Facebook feed.

COUNTERING THESE THREATS

7. Atmanirbhar Bharat. The rising Anti-China sentiments has created a demand for smartphones, TVs and other items owned and made by Indian companies. We, the people of India should further encourage our Indian smartphone brands like Micromax, Lava, Karbonn, Lyf and Intex to make India a self-reliant nation.

8. Disabling the microphone for applications and digital assistants like "Hey Siri" & "OK Google". If you're not comfortable with targeted ads, there are ways to mitigate your smartphone's spy power. That said, you may lose access to some handy features like wake words and voice assistants, so you'll have to decide whether these features are worth sacrificing your privacy. The biggest vulnerability comes from the "always-on" feature of most voice assistants. To pick up wake words like "Hey Siri," the mic needs to remain on at all times – which means your phone is always listening. The best place to start taking your privacy back is by turning off the "always-on" microphone features on your handset. When installing new programs, especially smartphone applications, check if they require access to your mic. Many apps will request permission, at least during first use.

9. 3.5 mm jack without mic and speaker. Eavesdropping of conversations by your smartphones microphone can be prevented by inserting the 3.5 mm or any applicable jack without a mic and speaker inside the phones audio slot. This will disable the phone microphone and whenever required can be removed for attending any calls. This is a cheap solution to avoid further eavesdropping.

10. Microphone Jammers. For complete protection of conversations from recording on devices with microphones such as mobile phones (including smartphones), dictaphones, audio recorders (including professional and digital), radio and wired microphones; microphone jammers like SEL31 Komar, i4 Microphone Jammer are easily available comme cially off-the-shelf. Only issue with-these solution is that these jammers are quite costly.

CONCLUSION

11. In a world in which more and more devices are constantly eavesdropping on our conversations, we need to be more alert and aware about this threat. As these smart devices advance in technological capability and spread to a wider range of usage domains, all we can do is to seriously ponder and act upon countering this menace.

INTERNET PORN

THE NEW COCAINE OF 21ST CENTURY

BY- SUVRAT SALWAN

WHAT IS COCAINE AND HOW IT WORKS?

As we all know cocaine is the substance which has caused devastation throughout the world and has claimed millions of lives but if we think for a moment it is totally natural substance coming from a plant namely Erythroxylum Coca, still it is considered a harmful substance to consume, the reason is, that this drug sends high level of dopamine (feel good hormone naturally produced in our body) into the parts of your brain that controls pleasure. This buildup causes intense feeling of energy and alertness called a high but the more you use cocaine, the more your brain will adapt to it. You'll need a stronger dose to feel the same high. This can lead to dangerous addiction or overdose. Stronger, more frequent doses can also cause long-term changes in your brain's chemistry. Your body and mind begin to rely on the drug. This can make it harder for you to think, sleep and recall things from your memory. Other short term effect of cocaine includes Anger/irritability, Paranoid and lack of concentration, depression and many more.

What if I tell you that there is a thing which is just one click away from your computer or mobile phone and is as addictive and bearing similar side effects as of Cocaine? That thing is none other than **PORN**. Yes, porn is as addictive as cocaine and in my view it is much worse because we don't even consider it as Toxic substance, it is so much normalized that we just consider it as a "Natural Thing" to do, but so is cocaine coming from a plant. **PORN** was introduced to homo sapiens by the same time when we were introduced to internet. Internet Pornography is a multi- billion dollar industry which is bigger than Hollywood and Bollywood combined together; it is bigger than Netflix, Amazon Prime and any other platforms you can think about.

Porn affects our brain in similar manner as of cocaine. Science is only just beginning to reveal the neurological repercussions of porn consumption. But it is already clear that the mental health and sexual lives of its widespread audience are suffering catastrophic effects. From depression to erectile dysfunction, porn appears to be hijacking our neural wiring with dire consequences. The properties of video porn make it a particularly powerful trigger for plasticity, the brain's ability to change and adapt as a result of experience. Combined with the accessibility and anonymity of online porn consumption, we are more vulnerable than ever to its hyper-stimulating effects.

SIMILARITIES BETWEEN INTERNET PORN AND DRUG ADDICTION

A 2013 Study concluded that "Natural and drug rewards not only converge on the same neural pathways, they converge on the same molecular mediators and likely in the same nerve cells to influence the wanting of both type of rewards".

Another study conducted by researchers at Cambridge University in 2014 compared people addicted to internet porn to control groups consisting of people who were not addicted to Internet Porn. The results of the study were alarming. Sensitization to porn was clearly exhibited by the porn addicted group when they were exposed to internet porn. The porn addicts reward centre lit up when exposed to porn. This was not the case for control group. Symptoms of pornography addiction includes Sexual Dysfunctions, fatigue, low self esteem, sense of shame,lack of motivation etc.

BEYOND DYSFUNCTION

The desensitization of our reward circuitry sets the stage for sexual dysfunctions to develop, but the repercussion don't end there. Studies show that changes in the transmission of dopamine can facilitate depression and anxiety. In agreement with this observation, porn consumers report greater depressive symptoms, lower quality of life and poorer mental health compared to those who don't watch porn The other compelling finding in this study is that compulsive porn consumers find themselves wanting and needing more porn , even though they don't necessarily like it. This disconnect between wanting and liking is a hallmark feature of reward circulatory dysregulation. The perpetuation of sexual violence online is particularly troubling, as rates of real life incidences may escalate as a result. While high porn consumption may not drive viewers to harrowing extremes, it is likely to change behavior in other ways.

JUDICIAL OPINION

The Supreme Court of India, in Khoday Distilleries Ltd. and Ors. v. State of Karnataka and Ors. - (1995) 1 SCC 574,

Held that there is no fundamental right to carry on business of exhibiting and publishing pornographic or obscene films and literature.

Kamlesh Vaswani vs. Union of India and ors in 2013 (diary 5917, 2013), a PIL petition was filed in the Supreme Court of India seeking a ban on pornography in India. The Court issued a notice to the central government of India and sought its response. The government informed the Court that the
Cyber Regulation Advisory Committee constituted under Section 88 of the IT Act, 2000 was assigned with a brief with regard to availability of pornography on the Internet and it was looking into the matter.

On 26 January 2016, the Supreme Court in written order, instructed govt "to suggest the ways and means so that these activities are curbed. The innocent children cannot be made prey to these kind of painful situations, and a nation, by no means, can afford to carry any kind of experiment with its= children in the name of liberty and freedom of expression. When we say nation, we mean each member of the collective".

CURRENT SCENARIO

Although porn is officially banned in India but by passing the government ban on porn sites, people in India have increased the consumption of adult movies. According to a famous porn site it has witnessed a 55% surge on day one of the 21 day lockdown which was announced in the month of April. Interestingly the surge in traffic continued on all days after the lockdown was imposed. But it is the growing trend pre-adolescents watching porn has become a cause of concern.

THE SOLUTION

Well it is well established that banning porn will not be enough as people will find their way out as we can see more and more people in India are using VPN now than did ever before. So instead of banning the source we should just realize porn as a harmful substance like drugs. We should give our children sex education during their adolescent period so that they don't look for it elsewhere and finally ending watching internet pornography which is spread like wildfire. Also, we should talk more and more about this whenever we get an occasion so that scientist will also take the task to research about this porn addiction and we can get substantive evidence against it so as to fight it for the betterment of society.

मेरी कविताएं :-

सरस्वती कुशवाहा

इतना मुश्किल भी नहीं

इतना मुश्किल भी नहीं, सपनो को साकार करना.
जब प्रण ले ही लिया, तो अब क्यों बाधाओं से डरना.

मुश्किलें तो आजमाती है हौंसलों को,
तुम अपने इरादों के मजबूत पंखों से उड़ान भरना.

आसान नहीं है सफर सफलता का,
देख के दुविधाएं तुम प्रयास काम न करना.

कठोर श्रम और लगन से मिलती है मंजिल सपनो की,
तुम मेहनत बेहिसाब करना.

कांटे अपना रूप नहीं बदलते चुभते ही है,
काँटों रूपी असफलता से तुम जरा भी न डरना.

इतना मुश्किल भी नहीं है सपनो को पूरा करना,
जीत हासिल होनी जरूर तुम हर संभव प्रयास करना.

मानव की भांति

उठो और खुद में एक नई ऊर्जा का संचार करो,
मानव हो मानव की भांति कार्य करो.

यूं बैठोगे भाग्य के भरोसे तो कुछ नहीं कर पाओगे,
समय निकलता जाएगा और हाथ मलते रह जाओगे.

भाग्य में वही मिलता है जो मेहनत से हासिल होता है,
कठोर श्रम के आगे तो भाग्य भी विफल होता है.

अपने हाथ की खाली रेखाओं को एक बार निहार लो,
तुम्हे खुद भरना है रंग स्वयं के जीवन में ये जान लो.

विधाता भी उन्ही की सहायता करता है जो खुद लड़ते है,
रस्ते मिलते नहीं आसानी से स्वयं ढूंढने पड़ते हैं.

अपने आलस्य का तुम अब परित्याग करो,
समय है बहुत ही बहुमूल्य उसके साथ ही तुम प्रस्थान करो.

ये मार्ग सफलता का कठिन है आसान नहीं,
हो मन में दृढ़ संकल्प की शक्ति तो कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं.

अपने जीवन को स्वयं ही प्रकाशवान करो,
लड़ कर सब बाधाओ से तुम सफलता का आव्हान करो.

मानव हो मानव की भांति कार्य करो

वक्त रुकता नहीं लेकिन

वक्त रुकता नहीं लेकिन ,
महत्व अपना बता जाता है.

जो चलते नहीं उसकी गति के साथ,
उन्हें पीछे छोड़ जाता है.

फिर वक्त गुजरने पर, इंसान पछताता है.

याद रखिये फिर वो गुजरा वक्त,
लौट के कभी न आता है.

इसलिए जीवन में रखो वक्त का ध्यान,
तभी तो छू पाओगे आसमान....

किसी से कम नही हो तूम

किसी से कम नही हो तुम
ये बात जल्दी ही समझ जाओ तुम ....

चाहोगे तो हर राह से होकर गुजर जाओगे
अपने सपनो के लिए जमाने से लड़ जाओगे ....

ना भाओ परेशानियों से ये अनुभव देती है
करके अपने इरादो को दृढ़ हर मुसीबत से तकराओं तुम ....

खुद से मिलना भी बड़ा मुश्किल है पार कर के हर चुनौती
खुद से खुद को मिलवाओं तुम ....

"नई शिक्षा नीति उम्मीद की किरण . भारतीय संस्कृति की ओर"

"निज भाशा- संस्कृति उन्नति अहै!" **रुबी गुप्ता**

विष्वविद्यालय हतोत्साहित हो चुके थे । सामान्य जन के मस्तिश्क में बालकों के भविश्य संबधी चिंताजनक लकीरें जन्म ले चुकी थी। षिक्षा को ग्रहण लग गया,ऐसा विचार मन में उमड. रहा था। नि:संदेह ऐसी विशम परिस्थिति में नवीन षिक्षा नीति का उदय सभी के जीवन में उत्साह ले आया और अंधकार होने से पहले मसाल रोषन कर दी।

सर्वाधिक प्रसन्नता इस बात की है कि कोविड-१९ से पूर्व जो ग्रहण पाष्चात्य सभ्यता ने भारतीय संस्कृति को लगाया था। जिसके वषीभूत हो छात्र अपनी भाशा व संस्कृति से विमुख हो त्रिषंकू की भांति हो गये है। इस स्थिति से उभरने में नवीन षिक्षा नीति कारगर सिद्व होगी । महत्वपूर्ण बात यह है कि भाशा समाज की वह इकाई है जो सम्पूर्ण देष को एक कडी में जोडती है । मातृभाशा कोमलता व प्रेम की परिचायक होती है। बालकों की कोमलता व सहजता अब किसी भारी बस्ते के बोझ तले नहीं रहेगी। अब बालक क्षेत्रीय भाशी वातावरण में सुरक्षित महसूस करेंगे। बालकों के बौद्विक विकास के साथ-साथ मानवीय एंव आत्मीय विकास भी कुषलतापूर्वक हो सकेगा ,साथ ही इनकी प्रतिभा का मूल्यांकन भी खेल-खेल में षिक्षा के माध्यम से की जा सकेगी जो सिर्फ मूलभाशा के द्वारा ही संभव है।

बालक बेझिझक अपना मत/विचार व समस्यायें षिक्षक के समक्ष रख पायेंगे यथा संभव इसमें भाशा एक व्यवधान हो सकती थी।

उत्कृश्ठ तथ्य पर दृश्टिपात करें तो नवीन षिक्षा नीति का उदय निसंदेह भारतीय संस्कृति के विकास के लिए हुआ है अथवा यह कहना अधिक प्रासंगिक होगा कि "भारतीय संस्कृति का पुर्नुत्थान लेकर 'नई षिक्षा नीति 'उदित हुई है।"

भारतीय परंपरा भाशा का ज्ञान अर्जित कर ही भारतीय पुरातन मूल साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव हो सकेगा जिस पर संपूर्ण विष्व की साख टिकी है। जहाँ विष्व में कहीं भी किसी भी देष में आविश्कार हुए है या षासन की नीति अथवा नवीन विधि विकसित हुई है सभी का जन्म भारत से ही हुआ है।

वेद,उपनिशद, पुराण व अन्य साहित्यों का रुचिपूर्ण अध्ययन नि:संदेह गर्व महसूस करायेगा कि हम भारतीय हैं। यथासंभव जो खुषी हमें बालकों को अंग्रेजी बोलते देख नहीं होती थी। वह हर्श भारतीय संस्कृति का संचार अपने बालकों में देख प्रतीत करेंगे। आन्तरिक मन में विराजी पाष्चात्य सभ्यता व भाशा का अनुकरण करने वाली कुंठा सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी।

अंतत: माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि 'नई षिक्षा नीति' समता,गुणवत्ता व सामर्थ्य और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है।'समता व सामर्थ्य भाशा रुपी इकाई के माध्यम से भारतीय परंपरा गुणवत्ता को जन्म देगी। इस प्रकार जवाबदेहिता परिपक्व बनेगी।

अत: हम सभी भारतीय संस्कृति के नतमस्तक हो 'नई षिक्षा नीति' को सहर्श स्वीकार कर 'भारतीय संस्कृति के पुर्नुत्थान ' में सहयोग प्रदान करें ताकि पुन: विष्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराने का स्वप्न साकार हो।

> *"नतमस्तक हो!*
> *संस्कृति को सहर्ष स्वीकार करें,*
> *दृढता से, सभी देश भर में।*
> *भारतीय परचम लहरायें,*
> *गर्व से, विश्व भर में।।"*

एल. जी. बी. टी. और धारा 377

विमला प्रजापति

भारत में कुछ लोगो द्वारा समलैंगिकता को वैधानिक करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो कुछ निबन्धनों के साथ उच्चतम न्यायालय ने 2018 में पूरी कर दी। विश्व में 72 ऐसे देश है, जिनमें समलैंगिकता को अपराध माना गया है।

भारतीय इतिहास:- धारा 377 अंग्रेज थॉमस मैकाले द्वारा बनाए गए कानून भारतीय दण्ड संहिता में दी गई है। जो 1860 से चला आ रहा है। प्रांरभ में यह कानून सिर्फ समलैंगिकों तक सीमित था लेकिन विक्टोरिया राज में इस कानून का लगातार गलत इस्तेमाल होने के कारण इसका विस्तार किया गया।

धारा 377(संशोधन के पूर्व)- जो कोई किसी पुरुश ,स्त्री या जीवजंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध, स्वेच्छया इंद्रीय भोग करेगा, वह अजीवन कारावास से या 10 वर्श तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये धारा अप्राकृतिक यौन संबंधो को गैर कानूनी करार देती है इसलिए इस धारा को आमतौर पर समलैंगिकता के खिलाफ कानून माना जाता था।

लेकिन अब न्यायालय ने अप्राकृतिक यौन के संबंध में दो बाते जोड़ दी है,कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सहमती से यौन संबंध बनाता है तो अपराधी नही होगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर के साथ यौन संबंध बनाता है तो वह अपराधी होगा।

समलैंगिको मे मुख्यत: चार तरह के लोग आते है Lesbian , Gay, Bisexual , Transgender. जिन्हे संक्षेप मे (एल. जी. बी. टी) .

नाज फाउंडेषन ने वर्श 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय से धारा 377 को गैर संवैधानिक घोशित करने की मांग की थी। 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि प्राइवेट मे रजामंदी के साथ संबंध बनाना अपराध नही। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा, कि ये धारा 377 हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हनन करती है।

"सुरेष कुमार कौषल बनाम नाज फाउंडेषन" 2014 के मामले में 2009 के निर्णय को पलट दिया और दोबारा इस धारा को मूल रूप में लाने का फैसला किया ।

"नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ" 2018 के बाद में धारा 377 को असंवैधानिक घोशित कर दिया और दो व्यक्तियों के बीच सहमति से संबंधो को विधिक बना दिया और इस तरह भारत समलैंगिकता को वैधानिक बनाने वाले 125 देषो में
षामिल हो गया ।

धारा 377 एक औपनिवेषिक विरासत होने के नाते गहन आलोचना का विशय रहा है माना जाता रहा है कि यह एक ऐसा कानून है जिसका पुलिस द्वारा दुरूपयोग किया जाता है और साथ ही यह व्यक्ति की चयन करने की स्वतंत्रता के खिलाफ है।

अपने घर की चार दीवारी के अंदर कोई व्यक्ति क्या करता है इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नही होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जीवन जीने के लिये स्वतंत्र है।

निश्कर्श :- दरअसल वाद,प्रतिवाद और संवाद के तहत वर्णित सभी बिन्दुओं के निहितार्थ समलैंगिकता को जायज या नाजायज मानने से संबंधित एक अहम सवाल यह है कि क्या धारा 377 के खत्म हो जाने से भारत में एल. जी.बी.टी अधिकार अपनी परिणिति को प्राप्त होंगें? क्या ये धारा अन्य रूप में आवष्यक है?

ट्रांस जेन्डर्स राइट्स को लेकर हम असंवेदनषील है, उन्हे न तो ठीक से षिक्षा मिलती है और ना ही नौकरियों मे उचित प्रतिनिधित्व।
अत: 377 को खत्म किये जाने से भी बदलाव ला पाना कठिन
हो सकता है।

कन्या भ्रूण हत्या: एक अभिशाप

-चिकित्सक का नजरिया -

डॉ० प्रभुद्धशील मित्तल

समाज भ्रूण के लिंग का पता क्यों करता है ?

जब मै डिलीवरी या ऑपरेशन के लिए मरीज के साथ होता हूँ तो यह जानने के लिए कि लोग लड़का क्यों चाहते है मै अक्सर मरीज (जिसकी डिलीवरी हो रही हो) से पूछता हूँ कि क्या चाहिए? तो जवाब ज्यादातर लड़का ही होता है। मै पूछता हूँ क्यों? तो उत्तर मिलता है सास को चाहिए, कुछ कहती है पति को चाहिए और जब मै पूछता हूँ "तुम्हें" तो उत्तर होता है "कुछ भी,बस स्वस्थ हो।" फिर मै बाहर आकर सास एवं पति से पूछता हूँ तो सास का जवाब होता है "लड़का तो होना ही चाहिए", पर क्यों? ये पूछने पर सोच कर कहती है वंश चलेगा। इस उत्तर से मै संतुष्ट नही होता हूँ पर एक बार एक मरीज ने कहा लड़की की हमारी जैसे हालत ना हो, उससे तो अच्छा है लड़का हो।

यहाँ मै सोचने पर मजबूर होता हूँ की अगर हम समाज में झांकें व महिलाओं की स्थिति देखें तो यह बात सही दिखती है। एक शराबी पति शाम को घर आता है व उस पत्नी को मारता है जो दिन भर काम करती है,और शायद इसलिए वह नही चाहती कि उसकी अपनी लड़की दुनिया में यह सब दु:ख झेले क्योंकि इस दु:ख भरी जिंदगी के अलावा उसने दूसरा कोई पहलू देखा ही नहीं है और मुझे यही एक महत्वपूर्ण कारण लगता है।

चिकित्सक भ्रूण के लिंग का पता क्यों करते हैं ?

ज्यादातर उत्तर आएगा - पैसों के लिए, ये सही है। शायद यह पैसा कमाने का एक सरल तरीका है व पैसा देने वाले बहुत है पर मै सोचता हूँ एक चिकित्सक पर जीवन यापन के लिए पर्याप्त सुविधा होती है, फिर क्यों ये जघन्य पाप? पैसे के साथ कुछ लोगों में गलत कार्य करने की एक प्रवृति भी होती है। पैसा जब कम होता है तब ये कार्य करें और पैसा हो जाये तो ऐसा काम बंद कर दें तो सिर्फ पैसा कारण होगा समझ आता है पर भरपूर पैसा होते हुए भी अगर ये कार्य किया जाये तो असामाजिक प्रवृति इसका कारण है। उदाहरण नकली घी बनाने वाले, रिश्वत लेने वाले, मिलावट करने वाले, कम तोलने वाले आदि। और सोचें तो एक कारण यह भी मिलेगा कि दूसरे कर रहे है, हमारी अंतरात्मा नही है इसलिए हम भी कर रहे है। यह एक चक्र है, कहाँ शुरु होता है,कहाँ खत्म, हम नही समझ सकते।

साथ ही नियम लचीले है, डर नहीं है और कोई दूसरा फंस जाये तो खुद डरने की जगह सोचते है कि अच्छा है प्रतिद्वंदी कम हुआ, हमारा धंधा खूब चलेगा। यहाँ मै यही कहूँगा समाज भोगवादी हो गया है, पैसा सब कुछ है,तो कुछ डॉक्टर भी इससे अछूते नहीं। रही सही कसर पैसा लेकर डिग्री देने वाले कॉलिजो ने पूरी कर दी।

कन्या ही बताना!

क्या आप जानते है ज्यादातर भ्रूण परीक्षण के मामले में कन्या ही बताई जाती है। क्योंकि 100% सही देखना तो संभव नहीं है। जब 4 महीने का भ्रूण बाहर आता है तो भी आप सही नहीं समझ पाते तो काले सफेद अल्ट्रासाउंड में क्या दिखेगा (ये खेल अनुमान पर ज्यादा व आँखों देखी पर कम है)

इस बात को इस तरह समझें,जाँच के बाद डॉक्टर कहता है कि लड़की है, अब तो लोग सीधे गर्भपात के लिए जाएंगे व जिंदगी भर पता नहीं लग पाएगा कि सच्चाई क्या थी? डॉक्टर को गर्भपात में भी पैसा मिलेगा व आप अगले साल दुबारा आओगे, उस मे भी फायदा ही है।

कुछ सुझाव:

1. गर्भावस्था की सोनोग्राफी के लिए केवल प्रसूति रोग विशेषज्ञ ही रेफर करें एवं विशेषज्ञ रेडियोलाजिस्ट ही यह सोनोग्राफी करें, हर कोई नहीं।

अत: कम लोगों पर निगरानी रखना सरल हो जाएगा। इस प्रकार केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों पर निगरानी रखनी होगी जिनकी संख्या कम है। आज हर डॉक्टर रेफरल करता है, मरीज खुद भी सोनोग्राफी करवा लेता है ऐसे में गठजोड़ को पकड़ना कठिन है। इसके और भी कई फायदे होंगे- विशेषज्ञ डॉक्टरों का काम बढ़ेगा तो शायद पैसे की लालच कम हो,डिग्री की महत्वता बढ़ेगी,जवाबदारी बढ़ेगी, डर बढ़ेगा।

जब प्रसूति रोग विशेषज्ञ ही मरीज को,दो या तीन बार सोनोग्राफी के लिए भेजेंगे तो मरीज कम से कम तीन बार प्रसूति रोग विशेषज्ञ की निगाह में आएगा एवं उसकी सही जाँच पड़ताल हो पायेगी जिससे गर्भावस्था में स्वास्थय लाभ मिलेगा व जटिल प्रसूति के मरीज जल्दी पकड़ आएँगे एवं मातृ सुरक्षा एवं मातृ मृत्यु दर पर अनुकूल असर अवश्य पड़ेगा।

2. जब कन्या भ्रूण लिंग परीक्षण व हत्या एक अपराध है तो यह सिर्फ केवल चिकित्सीय कुरीति नहीं है क्योंकि वास्तव में ये एक सामाजिक कुरीति है। इस अपराध में शायद ही कभी आम जनता को सजा होते देखा हो। यहाँ हमें मानव स्वभाव समझना होगा।

एक केस में डॉक्टर को आरोपी बनाया तो क्या वहां आम आदमी जाँच के लिए नहीं गया था? वह भी तो दोषी है पर समाज, प्रशासन व मीडिया को दोष सिर्फ डॉक्टर में ही दिखता है। डॉक्टर को ही दोषी बनाया जाता है। तो आम जनता डरेगी क्यों व इससे समाज में क्या संदेश जाता है इसे भी समझने की जरुरत है। डॉक्टर समुदाय प्रशासन को पक्षपाती रवैये के लिए कोसता है व दूसरे जो डॉक्टर इस अपराध में लगे हैं चौकन्ने हो जाते हैं, दाम बढ़ा देते हैं व डॉक्टरों का एक बहुत छोटा हिस्सा है जिसे डर तो लगता है पर कुछ समय के लिए,फिर वही काम चालू क्योंकि वह पहुंच वाले हैं,पढे लिखे हैं व कानूनी तोड़ व दांव पेंच जानते हैं।

अब अगर आम जनता को भी सजा मिले तो क्या होगा,समझें:- इस कुरीति का सबसे बड़ा हिस्सा है समाज जो माँग (demand) करता है। अगर इस हिस्से से एक को भी सजा मिले तो हजारो डरेंगे। कम से कम सजा पाने वाले के परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त, पडोसी व आम जनता में डर से माँग कम होगी तो आपूर्तिनवसल करने वाले खाली बैठेंगे।
अरब देशो में व पाकिस्तान में गर्भपात कानूनी अपराध है। वहां आम जनता को इतनी कड़ी सजा है कि डर के कारण कोई भी गर्भपात करवाने आता ही नहीं है, डॉक्टर तक तो बात पहुँचती ही नहीं है। हमें केवल अपराधी ही नहीं पकड़ना है हमें माँग खत्म करनी है कानून अपने आप अनावश्यक हो जायेगा।

यहाँ प्रशासन एवं कानून से अनुरोध है कि चिकित्सक का यह पहलू भी समझे। स्टिंग वाली घटनाओ में स्टिंग करने वाला व्यक्ति घुमा फिरा कर, दबाव डाल करजानबूझकर एवं बहुत समय बहस कर के कुछ बातें ऐसी बुलवाता है जिससे उसका लक्ष्य पूरा होता है। अतः ऐसे स्टिंग को अमान्य कर डॉक्टरों पर कार्यवाही बिना प्रामाणिक जाँच के ना करें साथ ही ऐसे लोगो को जो स्टिंग का दुरूपयोग कर रहे है उन्हें भी कटघरे में खड़ा करें।

उदाहरण कुछ समय पहले शहर में यह एक स्टिंग खबर थी। एक डॉक्टर से पूछा 8 सप्ताह के गर्भपात का क्या रेट है? डॉक्टर के बताने पर यह बात सुर्खी बन गई। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि 1000/- रूपये में कन्या भ्रूण गर्भपात हो रहा है। जब 8 सप्ताह पर भ्रूण लिंग का पता ही नहीं लग सकता है और 8 सप्ताह का गर्भपात गैरकानूनी भी नहीं है तो ऐसी नासमझी की खबरे क्यों?

3. हमें भ्रूण लिंग पता लगाने वाले संभावित दम्पतियो को भी निगरानी में रखना चाहिए। जैसे एक दम्पति गर्भ ठहरने पर डॉक्टर के पास आता है व उसको पहले से एक लड़की या दो लड़कियां है। ऐसे दम्पति जब 10 सप्ताह से आगे निकल जाये तब डॉक्टर एक मडंपस पर उनका नाम पता भेज दे, सरकार उनका रिकॉर्ड रखे।जिस दिन 16-18 सप्ताह की सोनोग्राफी हो उस दिन भी डॉक्टर दुबारा बता देंगे व सरकार टेलीकॉलिंग से उनसे पूछते रहे कि गर्भावस्था में कोई तकलीफ तो नहीं है। इससे सरकार व जनता का पर्सनल कम्युनिकेशन भी होगा व गर्भावस्था चल रही है कि नहीं पता भी चल जायेगा। अगर गर्भपात करवा दिया है तो कहाँ से भी पता करें। जरुरत पड़ने पर फील्ड में आँगनबाडी या आशा कार्यकर्ता से भौतिक सत्यापन भी कर सकते हैं इससे गठजोड़ का पता भी चल जायेगा।

4. 12&20 सप्ताह के गर्भपात के लिए सरकार शहर में 5-6 मान्यता प्राप्त केंद्र बना दे। वहां एक टीम हो (एक सामाजिक कार्यकर्ता / एक डॉक्टर / एक वकील / एक सरकारी डॉक्टर/ एक सेंटर मालिक) इत्यादि । हर प्राइवेट डॉक्टर अपना केस लाए, केस दिखाए, अनुमोदन (proval) ले, सेंटर की फीस दे और कोई भी एक सेंटर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मान्य करे, गर्भपात का कारण, बीमारियां आदि से संतुष्टि होने पर ही केस को अनुमति दें जिससे अनुचित गर्भपात पर अंकुश लगेगा।

5. कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप के साथ कन्या हत्या एक अभिशाप है हमें इस तरफ भी सोचना होगा।

क्योंकि दबी जुबान से सब बाते करते हैं व जानते हैं कि कुछ समुदाय में बेटी पैदा होने के बाद मार देते हैं पर भ्रूण हत्या नहीं करते। सरकार सोचती है जन्म आंकड़े सुधर रहे हैं पर सही मायने में लड़कियाँ कम ही है।

6. लड़कियों के लिये कुछ और कार्य जैसे फ्री शिक्षा, दहेज प्रथा पर अंकुश (दहेज देने वाले को भी सजा), रेल यात्रा में 18 साल तक छूट, लड़की को इनकम टैक्स में छूट (जब वो छोटी हो तो अभिभावकों को) ।

7. कुछ निरुत्साहित (disincentive) लड़का होने पर भी किया जा सकता है।

8. लड़की पैदा होने पर सरकारी योजनाएं कम हैं एवं पूर्णतः सफल नहीं है।

संक्षेप म :

1. रेफर एवं सोनोग्राफी केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा।

2. भ्रूण लिंग पता लगाने वाले संभावित दम्पतियो की भी निगरानी ।

3. 12 - 20 सप्ताह का गर्भपात केवल कुछ चिन्हित केन्द्रो में हो।

4. कड़े दण्ड, कन्या को शिक्षा व प्रोत्साहन के द्वारा समाज से भ्रूण लिंग पता करने की मांग को खत्म करना।

अंत में:

डॉक्टर एवं प्रशासन तालमेल बिठाकर एक ऐसी नीति बनाएं जिसमें इस कुरीति की मांग खत्म हो जिससे एक स्वस्थ समाज की नींव डले। हर वर्ग में अच्छे और बुरे व्यक्ति दोनों होते हैं, उन कुछ बुरे लोगों के लिए पूरे वर्ग को दोषी ठहराना सही नहीं है।

श्रीमद भगवत गीता

मानव जीवन की समस्त समस्याओ की संजीवनी

सुरेन्द्र सिंह रावत

गीता महाभारत महाकाव्य के भीष्म पर्व में 700 श्लोकी भव्य दीप स्तम्भ है. श्रीमद भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है. प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है तथा हताशा और निराशा से घिरे हुए व्यक्ति के मन में आशा के प्राण व ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है. गीता एक ऐसा अनुपम मानव धर्मशास्त्र है जो जीवन के यथार्थ का साक्षात्कार करवाकर जीने की कला सिखाता है।

वर्तमान के भौतिकवादी युग में विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त, हताश, निराश, प्रमादग्रस्त, मोहग्रस्त, भ्रमित एवं भटके हुए मानव और विशेष रूप से छात्रों के लिए श्रीमद भगवत गीता समस्याओं से पार पाने हेतु एक अद्भुत महामंत्र है.गीता विषाद से प्रसाद के ओर, कायरता से शूरवीरता की ओर, निराशा से आशा की ओर, संशय से निश्चिंतता की ओर, पलायन से सक्रियता की ओर, संदेह से विश्वास की ओर तथा दुर्बलता से दृढ़ता की ओर ले जाने वाला एकमात्र अलौकिक ग्रंथ है. मानव गीता के श्लोको को पढ़कर और उनके भावों को हृदयंगम कर अनेक उलझनों से छुटकारा निसंदेह प्राप्त कर सकता है।

गीता ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय है. इसमें मनोभावों का वैज्ञानिक विश्लेषण है. यह सबको आशा,आस्था तथा कर्म करने की प्रेरणा देती है. शुद्ध चिंतन मनन के द्वारा व्यक्ति को आत्मविश्वासी व ऊर्जावान बनाकर सफलता की ओर दृढ़ता से बढ़ने हेतु प्रेरित करती है।

स्कन्द पुराण के अनुसार :

गीता सारमिदं शास्त्र सर्व शास्त्र सुनिश्चितम।
यत्र सीरयत ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्र सुनुश्चितम।।

गीता शास्त्रीय ज्ञान का ऐसा खजाना है जिसे पाकर कुछ और ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती क्योकि गीता स्वयं भगवान की वाणी है।

दैनिक मानव जीवन में अफलता,सुख-शांति हेतु गीता के निम्नलिखित अनुभूत सकाम प्रयोग है जिन्हे अपनाकर न केवल छात्र वरन कोई भी व्यक्ति अपना जीवन सार्थक बना सकता है।

01. शांत एवं सुखी जीवन हेतु

(a) **प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः।**
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।। **3::27**

भावार्थ : वास्तव में हमारे सम्पूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते है, परन्तु अहंकार के वशीभूत हो मूढ़ अज्ञानी पुरुष 'मैं कर्ता हूँ' ऐसा मान लेता है।

(b) **श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।**
ज्ञानं लब्धवा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।। **4::39**

भावार्थ : जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर पाता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल आध्यात्मिक शान्ति को प्राप्त हो जाता है। (सार : ज्ञान प्राप्ति हेतु श्रद्धा आवश्यक है.)

(c) **एवं बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।**
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम ।। **3::43**

भावार्थ : आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन को नियंत्रित किया जा सकता है. आत्मा न्याय व अन्याय का निर्णय कर बुद्धि को सही दिशा देती है।
(सार : हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुने.)

(d) त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्।। 16::21

भावार्थ : आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले सर्व अनर्थों के तीन मूल काम, क्रोध तथा लोभ हैं। इन तीनों को त्याग देना चाहिए।

(e) तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्।
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः।। 12::19

भावार्थ : जो निंदा और स्तुति को समान भाव से देखता है, मननशील है जो कुछ मिल जाये उसी में सदा ही संतुष्ट रहता है और रहने के स्थान (घर) में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है।

02. आनंद प्राप्ति हेतु

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्।
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते।। 5::21

भावार्थ : बाहर के विषयों में आसक्तिरहित अन्तःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो सात्विक आनंद है को प्राप्त करता है, और परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में रहने वाला पुरुष अक्षय आनन्द का अनुभव करता है।

03. सफलता प्राप्ति हेतु

(a) तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः।
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत।। 4::42

भावार्थ : तू हृदय में स्थित इस अज्ञान से उपजे संशय को हटा दो, उसे हटाने में विवेक का, ज्ञान का प्रयोग करो और समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जाओ, विकारों पर पार पाओ और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ।

(b) कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।। 2::47

भावार्थ : तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है उसके फल की चिंता करना नहीं। इसलिए कर्मफल तुम्हारा हेतु न हो तथा कर्म न करने में भी आसक्ति न हो।

04. हताशा और उहापोह की अवस्था से निकलने का मार्ग

(a) क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप।। 2::3

भावार्थ : हे वत्स! नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हे शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमनकर्ता हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यागकर संघर्ष के लिए खड़ा हो जाओ।

(b) उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।। 6::5

भावार्थ : ज्ञानी मनुष्य स्वयं अपना संसार-समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डालेक्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है।

(c) बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्।। 6::6

भावार्थ : जिस जीवात्मा ने अपने मन और इन्द्रियों सहित शरीर को जीत लिया, वह स्वयं ही अपना मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। (सार : स्वयं पर शासन करना सीखो)

05. भक्ति प्राप्ति हेतु

(a) यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम।। 9::27

भावार्थ : हे अर्जुन! तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित करते हुए करो।

(b) मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः।। 9::34

भावार्थ : अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझमें तल्लीन करने पर तुम निश्चय ही मुझको प्राप्त करोगे।

(c) सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।। 18::66

भावार्थ : संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझमें त्यागकर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर।

अतएव निष्कर्ष यह है कि श्रीमद भगवतगीता में जीवन की हर समस्या का समाधान है. इसमें ज्ञान रुपी वह संजीवनी है जो निराश मन में आशा के प्राण फूंकती है और जीने की कला सिखाती है. अंत में श्रीकृष्ण कहते है : "सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज" अर्थात सब धर्मों (चीजों) की चिंता छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ. एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर रखना ही धर्म है. गीता मानव का आदि धर्म शास्त्र है. जिसे अर्जुन ने अपनी स्मृति में धारण किया इसलिए गीता स्मृति है. इसी को आधार मानकर धर्माचरण कर अपना कर्तव्यपालन एवं कर्म करना न्यायोचित है.

वर्तमान पत्रकारिता का बिगडता स्वरूप : जिम्मेदार कौन

टी.एन. मनीष

भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले आंदोलनों की वृहद ऐतिहासिक श्रृंखला हमारी आजादी को अमरत्व प्रदान करती है। इस कड़ी में गुलामी की जंज़ीरों में जकड़े भारत को गोरे शासन से हमेशा के लिये मुक्ति दिलाने का पावन लक्ष्य वैचारिक क्रांति के बिना हासिल होना असंभव ही रहता। तमाम प्रतिबंधो और पाशविक यातनाओं के बीच भी अंग्रेजों के विरूद्ध गुलाम देश के जनमानस में आजादी का अंकुर रोपित करने में उस दौर के लेखकों, विचारकों, विद्वानों, पत्रकारों कवियों ने कलम की आग से नागरिकों की सुप्त चेतना जगाई। लिहाजा स्वतंत्रता के पहले पत्रकारिता एक अति महत्वपूर्ण मिशन बनकर वैचारिक क्षितिज पर चमकती रही।

अत्याचारी गोरे शासन ने अनेक पत्र-पत्रिकाएं, अखबारों के प्रकाशन बंद कराए। लेखकों को जेल की काल कोठरियों में डाला गया। लेकिन कहतें है, न कि विचार कभी नही मरते, बल्कि इनको मारने की कोशिशें वैचारिक क्रांति को जन्म देती है ..... ऐसी ही क्रांति ने देश को आजादी दिलाई। पत्रकारों ने अपने स्तर पर तन, मन, धन सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अंग्रेजों को भारत छोडने पर बाध्य करने के महायज्ञ में अमर हो चुके विचारों की आहूतियां दी। इस तरह हिन्दुस्तानी पत्रकारिता का बीजारोपण गौरवशाली अतीत की चिरस्थायी मिसाल बना।

हम बरसों की गुलामी से आज़ाद हुए। समय बदलता रहा... देश, काल, परिस्थिति ने साल-दर-साल समाज के तमाम क्षेत्रों में मांग के अनुसार बदलाव किये। जब आजाद भारत के विशाल लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था ने अपनी ठोस उपस्थिति दर्ज कराई तो नई रीति-नीति ने ज़मीनी आकार लिया इस व्यवस्थापिका में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का जिम्मेदारी भरा गौरव प्राप्त हुआ। पत्रकारिता ने यहीं से अपने संचालन की उडान नये मानकों के साथ भरनी शुरू कर दी। अब पत्रकारिता का पुरातन एवं मूल मिशन समय की पुकार के नाम पर नयी परिभाषा गढ़ रहा था और लोकतंत्र के सजग प्रहरी के नाते सूचना क्रांति के अंकुरों को आधुनिक सुविधाओं के जल से सींचने भी लगा था। इस तारतम्य में विचारों के धनी सरस्वती पुत्रों को यथोचित द्रुतगामी संचार सुविधाओं से लैस करने के लिये लक्ष्मीपुत्रों ने धीरे-धीरे चौथे स्तंभ की कमान सम्हालनी शुरू की। बस! यहीं वो दौर था जब पत्रकारिता "मिशन से प्रोफेशन" की ओर तेज गति से दौड़ने लगी और इसका नया नाम "मीडिया" हो गया। जैसे ही पत्रकारिता ने व्यवसायिक चोला पहना..... औद्योगिक घराने इसका बाजार भाव तय करने लगे और पत्रकारों को बाजारवादी नई व्यवस्था ने मीडियाकर्मी बना दिया। "संपादक" नाम की संस्था और उसकी वैचारिक स्वतंत्रता का क्षरण होने लगा। संपादक अपने मालिकों के रिमोट से नियंत्रित होने लगे। पत्रकारों की कलम को कर्मचारी बनाकर सीमाओं में बांधा जाने लगा। पत्र-पत्रिका, टी.वी. चैनल्स सभी मालिकों के हुक्म के गुलाम बनते गए। ये दुर्भाग्यजनक है कि वर्तमान में पत्रकारिता का "चाल,चरित्र और चेहरा" राजनीति ही तय कर रही है। ताजा नमूना देश 'गोदी मीडिया' के रूप में सरकार के भोंपू बने स्वनामधन्य अनेकानेक प्रकाशन एवं प्रसारण संस्थानों की शक्ल में देख रहा है। मुश्किल यह है कि जनता ने ऐसे गोदी मीडिया की खबरों को न चाहते हुये भी देखने और सुनने की आदत डाल ली है।

मानव अधिकार बनाम न्यायपालिका

डॉ. शिवप्रताप सिंह राघव

मान सम्मान तथा जान माल की रक्षा के लिए प्रत्येक सभ्य देश को प्रत्येक नागरिक न्यायपालिका की ओर देखता है और उसका दरवाजा खटखटाता है संसद, संविधान, न्यायपालिका महज जनतंत्र के उपकरण नही है बल्कि हमारे देश में चले आजादी के आंदोलन उसमें पले सपनों, जनाकांक्षाओं और भरोसों के आधार भी है शासन, सरकार और जनतांत्रिक मूल्यों में नागरिकों की आस्था बनाए रखने में निष्पक्ष और ईमानदार न्यायपालिका की आवश्यकता है जिस दश में निष्पक्ष ईमानदार तथा त्वरित न्याय के उदाहरण के लिए विक्रमादित्य जैसा सामंत भी विख्यात तथा आदरणीय रहा हो, जिस देश में जहाँगीर जैसे अत्याशी शासक द्वारा त्वरित न्याय के उदाहरण के रूप में जहाँगिरी घंटा की नजीर पेश की जाती रही है और तो और भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजो की न्यायप्रियता गुलाम भारतीयों के मन में सम्मान जगाती रही हो वहाँ पर आज आम नागरिक को दुहाई की पुकार लगानी पडती है, कालेकोट वालों के सामने गिडगिडाना पडता है।

मानव के मौलिक अधिकारों की रक्षा के सन्दर्भ में न्यायपालिका द्वारा अनेको बार ऐसे निर्णय दिये जाते है जिनसे यह विश्वास मजबूत होता है मानव और मानवता का भविष्य सिर्फ न्यायपालिका के हाथों में ही सुरक्षित है मैसियट और लार्ड वाइस ने ठीक ही कहा है कि शासन के अन्य अंगों की अपेक्षा सरकार के इस अंग द्वारा सम्पादित कार्यों का जनसाधारण के मस्तिष्क पर सर्वाधिक प्रभाव पडता है मानव जाति एवं विश्व शांति की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र-संघ के द्वारा मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जिसमें स्वतंत्रता प्रतिष्ठा तथा अधिकारों की समानता को मानव के जन्म जात अधिकारों के स्वीकार किया गया है इन अधिकारों को भारतीय संविधान ने न केवल अंगीकृत किया है बल्कि अपने नागरिकों को गारन्टी के तौर पर न्यायपालिका के रूप में एक सशक्त उपकरण भी दिया है, देश की न्याय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है जब किसी भी भारतीय को किसी से परेशानी हो तो वह किसी

पूजा स्थल की ओर

भागता है उसे बताया जाता है कि ऊपर वाला उसकी परेशानियां हल करेगा फिर भी असलियत में परशानियों का हल अदालतों से ही मिलता है और मानवाधिकारों के विषय में भी यही बात लागू होनी है परन्तु क्या वास्तव में इन पवित्र घोषणाओं को न्यायपालिका सुरक्षित कर पाई है यह एक विचारणीय प्रश्न है।

निचली अदालतों में लगभग 3 करोड मामले लटके हुए है हाईकोर्टो में 33 लाख मामले बकाया है। हर बकाया मामले का मतलब है कि १० से २० व्यक्ति परशान है अर्थात देश की आधी जनता इन अदालतों में फँसी है।

अमीर देशों में जनता के हिसाब से भारत से कई गुना ज्यादा जज है भारत में 10 लाख लोगों पर 13 जज है तो अमेरिका में 103 और कनाडा में 75। लेकिन जजों की कमी की असली वजह क्या है। अमेरिका और कनाडा में हर नागरिक अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है जब कि यहाँ लगभग हर नागरिक अपने अधिकारों को भूल चुका है। वहाँ हकमारे जाने पर ही नही जरा सी बात पर भी मुकद्दमा दायर हो सकता है, यहाँ तब किया जाता है जब पानी नाक से ऊपर चला जाए।

आज भी विश्व के लगभग 100 देशों में मानवीय अधिकार निरापद नही है इनके प्रति आश्वस्त करने वाले संविधानों की होली जलाई जाती है तथा अधिकारों की उपेक्षा एवं उनके निर्लज्ज हनन का नग्न नृत्य देखा जाता है। भारत के अनेक राज्यों में विभिन्न आन्दोलनों के नाम पर लूट-पाट, मारकाट, हिंसात्मक कार्यवाहियाँ, अनाचार, अत्याचार आदि का जो ताण्डव होता रहता है वह मानव के अधिकारों का हनन नही, तो और क्या है पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम नागालैंड आदि में आतंकवादी आए दिन निरीह व्यक्तियों की जो हत्याऐं करते रहते है और लूटते है वे सब असामाजिक कृत्य मानव अधिकारों के सामने बहुत बडा प्रश्न चिन्ह लगा देते है विडम्बना यह है कि हमने इन दुष्कृत्यों को आतंकवाद नामक एक जीवन-दर्शन के रूप में स्वीकार कर रखा है और इसके अनुयायियों के साथ हम उच्चतम स्तर पर समझौता करने को हर समय तैयार बैठे है। जनवरी सन् 1985 से लेकर मार्च 1988 तक पंजाब और बिहार में सरकारी घोषणाओं के अनुसार साथ ही अलावे जम्मू कश्मीर राज्य में यह आकडे और भी ज्यादा है दिसम्बर 85 में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भयानक गैस त्रासदी जिसमें हजारों लोग मृत्यु को दुर्घटना क्या मानवाधिकारों का हनन नही है।

भारत में मानवीय जीवन के साथ खिलवाड और मनमानी तथा मानवाधिकारों के हनन सम्बंधी सरकारी आकड़ें को देखने से पता चलता है कि महावीर, बुद्ध, गाँधी और नेहरू के भारत में मानवाधिकारों के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो गया है और साथ ही शर्मनाक तथ्य यह है कि हम इस बात का भी दम्भ करते है। कि भारत की सरकार धर्म निरपेक्ष एवं समाजवादी समाज की स्थापना के लिए कृत संकल्प है तथा भारत में शक्तिशाली न्यायपालिका की छत्रछाया में मानवाधिकार सर्वथा सुरक्षित है। साथ ही हम एवं हमारे तथाकथित जनप्रतिनिधि विधानमण्डलों तथा सार्वजनिक रूप से इन हत्याओं एवं मानवाधिकारों के हनन को निन्दा करके तथा शब्दों की कारीगरी एवं दानवीकृत्य, मानवता पर कलंक आदि अनेकानेक साहित्यक मुहावरों और विशेषणों का प्रयोग करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेते है तथा इससे भी अधिक दुर्भाग्य जनक तथ्य यह है कि हम भारतीय नागरिक भी यह मान लेते है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकार का पूरा आश्वासन है।

भारत में मानवाधिकारों की स्थिति से यह पता चलता है कि जिन लोगों के हाथ में मानव अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वे ही स्वयं उनका हनन कर रहें है। आज मनुष्य, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि मानवाधिकारों के नाम पर वकालत करने वाले विभिन्न आयोग, संगठन तथा अन्य तथाकथित बुद्धजीवी किसे ज्ञात नही है कि विश्व में आज लगभग 100 करोड़ व्यक्तियों को एक समय भी भर पेट भोजन नही मिलता प्रतिदिन 40000 बच्चे भूख पोषण के अभाव में तथा प्रदूषण के प्रभाव में असमय ही मृत्यु को प्राप्त होते है। दो अरब व्यक्ति जल की सुविधा से वंचित है तथा 200 करोड़ बेरोजगार व्यक्ति मारे-मारे फिर रहे है।

दुर्भाग्य का विषय यह है कि भारतीय संदर्भ में मानवाधिकारों को सुरक्षित कराने वाले उपकरण के रूप में न्यायपालिका जैसे नितांत पवित्र एवं शुद्ध संवेदनशील अनुशासन में भी एक निर्लज्ज राजनैतिक घुसपैठ होने लगी है यह दरार की शुरूआत है किन्तु चिन्ता का विषय यह है कि कही यह दरार बड़ी होकर नीव न हिला दे।

मेरे विचार से मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान करके अधिकार प्रभावी बनाया जाना चाहिए साथ ही जब तक मानवाधिकारों से सम्बन्धित इस विचारधारा तथा चिन्तन पद्धति को आत्मसात नही किया जायेगा कि समस्त मानव जाति एक ही पिता की सन्तान है और प्रत्येक प्रकार का भेदभाव अस्वाभाविक एवं असामाजिक है साथ ही वसुधैव कुटुम्बकम की भावना बलवती नही होगी तब तक मानवाधिका. रों और उनकी रक्षा की बात कहना केवल अपने आप को धोखा देते रहना होगा वर्ष में एक दिन 10 दिसम्बर के दिन जब हम मानवाधिकार दिवस मानते है तब वास्तविक तौर पर हम मानवाधिकार एवं सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था का उपहास ही करते है और कुछ नही ।

Human Rights

- **You will lose copyrights in the design if it is industrially applied (produced more than 50 times)**

Other important acts related to Fashion:

Trademark Act, 1999, given to a company or to a product or service

Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, which is given to a geographical areafor a product. For example:Darjeeling tea, Agra petha, Maheshwari sari, Chanderi Sarees. It is regulated by WTO and given for a period of 10 years.

Patent Act Exclusive rights granted by a country for a unique solution to a problem

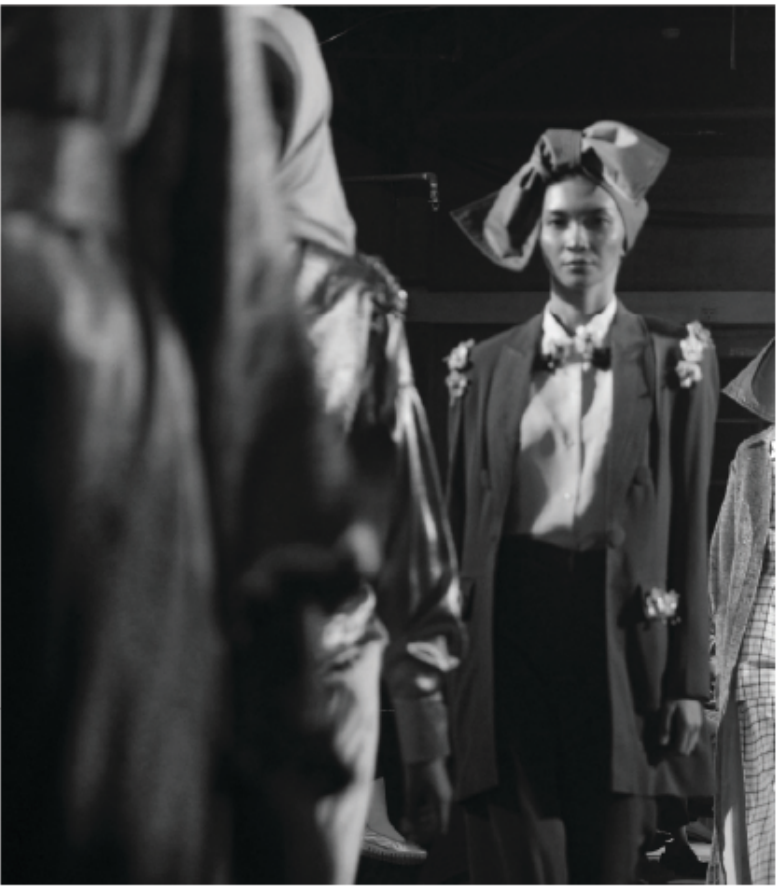

COMPARISONS

Design act v/s Copyrights act

Copyright shall not subsist in any design registered under the Designs Act, 1911, or Copyright in any design capable of being registered under the Designs Act, shall cease as soon as any article to which the design has been applied to has been reproduced more than fifty times by an industrial process.

DESIGN ACT V/S TRADEMARK REGISTRATION

A registered design and a trademark (not yet registered) may have an overlapping area. Say if a unique shape is a registered design and the said unique shape of the article attains such level of popularity leading to brand recognition amidst available articles in the same classification of goods, the same may fall under consideration for atrade marks registration by the proprietor/company.

As a fashion law practitioner, you could represent an independent designer, a large holding company, an entity licensing merchandise. An expert in Fashion Law would also have the knowledge of Business Laws for the company's legal structure, Cyber Laws in terms of an ecommerce business or a case of fashion blogging, Labour laws with rgeards to employee disputes, environment laws for cases related to recycling and fashion pollution and international laws for international firms.

The current fashion sector is not unaware about the laws. Rohit Bal became the first designer in India to copyright his entire collection. Other prominent fashion designers, Anju Modi and Anita Dongre, soon followed. As recent as 2018,Sabyasachi was awarded the National Intellectual Property (IP) Awards the Top Indian company/organization for Designs and Commercialization. On the other hand, the shops of Chandni Chowk continue to sell the copy of Sabyasachi designs. As lawyers slowly warm up to Fashion laws, the citizens will hopefully follow as well.

FASHION·LAW

हिन्दू विवाह संस्कार V/S फैक्टम बैलेट सिद्धांत

अरुण प्रताप सिंह

हिन्दी विधि में विवाह का एक अहम स्थान होता है। विवाह धर्म ग्रन्थों में बताऐ गए सोलह संस्कारों में से एक होता है। विवाह में केवल दो शरीर मिलकर एक नहीं होते है बल्कि दो आत्माओं का मिलन है, विवाह दो समाज मिलकर एक होने को कहते है। विवाह संस्कार सोलह संस्कारों में 15 वे स्थान पर आता है अर्थात 15 वां संस्कार होता है। जैसे कि शास्त्रों में बताया है, कि प्रत्येक व्यक्ति तीन प्रकार के ऋणो को लेकर जन्म लेता है। जो निम्न है:-

1- देव ऋण- इस ऋण को हम वेदों का अध्ययन एवं पठन पाठन कर चुका सकते है।

2- ऋषि ऋण- इस ऋण को हम यज्ञ इत्यादि कर चुका सकते है।

3- पितृ ऋण - इस ऋण को हम सभी चुका सकते है, जब कि हमारे द्वारा अपनी विवाहित पत्नि से पुत्र उत्पन्न किया जाए।

अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह संस्कार का तात्पर्य इन तीनों तरह के ऋणों को चुकाना होता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य पितृ ऋण को चुकाना है क्योंकि देव ऋण एवं ऋषि ऋण तो हम बिना विवाह किए भी चुका सकते है। लेकिन पितृ ऋण तो तभी चुका सकते है। जब हमारे द्वारा पुत्र उत्पत्ति की जाए। क्योंकि पुत्र नरक से बचाने वाला होता है। पुन्नाम नरकात! त्रायते इति पुत्रः

विवाह को संस्कार इसलिए माना जाता है क्योंकि ये संस्कार वर एव वधू के बीच न होकर उनके पिता के बीच होता है। विवाह कन्या के पिता द्वारा वर को दिया गया कन्या दान है। जो एक महत्वपूर्ण दान माना जाता है। लेकिन कोई भी विवाह तभी पूर्ण होगा जब उससे सम्बन्धित शर्तों का पालन किया जाए अर्थात् हिन्दू विवाह अधि. १९५५ की धारा ५ एवं ७ का पालन, किया गया है। अर्थात विवाह की सभी शर्तों को पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा विवाह शून्य या शून्यकरणीय समझा जायेगा।

लेकिन इसके बावजूद भी अगर इन शर्तों के अभाव में विवाह कर लिया जाता है तो भी विवाह कुछ परिस्थितियों में विधिक माना जायेगा। न कि शून्य या शून्यकरणीय अर्थात् फैक्टम बैलेट सिद्धांत के तहत कुछ परिस्थितियों में विवाह वैध माना जाता है।

हिन्दू विवाह की शर्तें:-

हिन्दू विवाह अधि. १९५५ की धारा ५ की उपधारा १ से लेकर ५ तक विवाह की शर्तों को बताया है। जो निम्नानुसार है:-

1. विवाह के समय पति या पत्नि दोनों में से किसी की पत्नि या पति जीवित नहीं होना चाहिए, अपवादों को छोड़कर।

2. दोंनो में से किसी में भी विकृतचित्तता नहीं होनी चाहिए।

(अ) विकृतचित्तता के कारण सहमति देने में असमर्थ नही होना चाहिए।
(ब) सन्तान उत्पत्ति हेतु अयोग्य न हो।
(स) पागलपन के दौरे न पड़ते हों।

3. हिन्दू विवाह में वर एवं वधू की उम्र 18 एवं 21 वर्ष होना चाहिए।

4. विवाह के पक्षकार एक दूसरे की प्रतिषिद्ध नातेदारी में नहीं होना चाहिए।

5. एक दूसरे के सपिन्ड नहीं होना चाहिए।

इस तरह उपरोक्तानुसार बताई गई शर्तों के अनुसार विवाह करने पर विवाह मान्य होगा अन्यथा विवाह शून्य या शून्यकरणीय होगा।

शर्तों का प्रभाव:-

जैसा कि बताया गया है कि एक वैध विवाह के लिए उपरोक्त सभी शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। लेकिन यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो वैध विवाह शून्य या शून्यकरणीय विवाह में बदल जायेगा।

(1) वैध विवाह- जब विवाह की सभी शर्तों का पालन किया गया हो तो वैध विवाह होगा।

(2) जब विवाह की शर्तों अर्थात् धारा ५ की उपधारा 1,4,5 का पालन नही किया गया हो तो शून्य विवाह होगा।

(3) जब विवाह की शर्तों अर्थात धारा ५ की उपधारा 2,3 का पालन नहीं किया गया हो तो विवाह शून्यकरणीय होगा।

अर्थात् विवाह या तो सभी शर्तों के पालन करने की दशा में वैध होगा। या फिर शून्य या शून्यकरणीय होगा।

कैप्टम बैलेट का सिद्धांत:- इस सिद्धांत के अनुसार अनियमित रूप से किया हुआ कोई भी विवाह जो हिन्दू धर्मशास्त्र के निर्देशों के विपरीत किया जाता है वह वेध मान लिया जाता है। लेकिन हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 द्वारा वैध विवाह की कुछ शर्तों को बताया गया है। जिनका पालन करने पर ही एक विवाह वैध विवाह कहलाऐगा।

लेकिन यदि इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा - 11 एवं 12 द्वारा विवाह शून्य या शून्यकरणीय घोषित किया जायेगा। लेकिन धारा -29 (1) द्वारा ये भी बताया गया है, कि हिन्दु विवाह अधिनियम १९५५ की पारित होने के पहले किए गए सभी विवाह मान्य होंगे। फिर चाहे वे उसी गोत्र, उसी प्रवर या उसी जाति के साथ किया गया हो। इस तरह के विवाहों के वैध विवाह माना गया है।

इस कारण कैप्टम बैलेट सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की गई है, ताकि इस तरह के विवाहों को जो धारा - 5 की शर्तों का पालन नहीं करते है। वैध बनाया जाए।

किन्तु जब इस तरह का विवाह छल, कपट, बल प्रयोग, उत्पीड़न धमकी, मिथ्या व्यपदेषन, भूल या वैश्वासिक सम्बन्धों को दुरुपयोग कर किया गया हो, तो इस तरह के किसी भी विवाह को कैप्टम बैलेट सिद्धांत के तहत वैध विवाह घोषित नहीं किया जा सकता है। और इस तरह के विवाह को शून्य या शून्यकरणीय घोषित किया जायेगा। लेकिन इसके अलावा अन्य सभी मामलों में इस तरह के विवाह मान्य होंगे। अर्थात् ऐसे विवाह जो धारा-5 द्वारा बताऐ नियमों का पालन नहीं करते है। मान्य होंगे। क्योंकि विवाह होने के बाद उसे झुठलाया नहीं जा सकता है।

अतः निष्कर्षित रूप में यह कहा जा सकता है कि वे सभी मामले जिनमें हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा - 5 की शर्तों को अपनाए बिना किए गए विवाह अमान्य यानि, कि शून्य या शून्यकरणीय होते है। और उन सभी विवाहों को जो शर्तों का पालन नहीं करते है। अवैध घोषित कर दिया जाता है।

लेकिन कैप्टम बैलेट सिद्धांत ठीक इसके विपरीत कार्य करता है। अर्थात धारा - 5 की शर्तों का पालन न करते हुए भी जो विवाह किऐ जाते है। और उन सभी विवाहों को रोकने के सारे साधन या सीमाएं समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सभी विवाह मान्य या वैध माने जाते है।

सुरक्षित भविश्य का साधन बने विधि षिक्षा

महेंद्र कुमार

भावी पीढी के सुरक्षित भविश्य की उम्मीद में वर्तमान मे अभिभावक विधि षिक्षा के लिये हर प्रकार के संकट उठाने को तैयार रहते हैं ।

वर्तमान समय में विधिक शिक्षा की परिकल्पना और बदलाव को समझना आवश्यक है । विधिक शिक्षा के भविष्य पर बात करने से पहले इसकें अतीत एवं वर्तमान का उल्लेख आवश्यक है । कुछ सीखने एवं समानार्थी रूप में विधि शिक्षा मानव सभ्यता के प्रारम्भ से शामिल रही है विधि शिक्षा का मकसद व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के कौशल को सिखाना था । यह शिक्षा धीरे-धीरे समाजिक विकास का माध्यम बन गई। मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति के साथ-साथ नागरिकता के गुणों के विकास को भी इन्ही लक्ष्यों के साथ जोड़ गया ।

पिछले कुछ दशको मे समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण बदलाव आ चुके है। विधि शिक्षा की तीन महत्वपूर्ण बदलाव आ चुका है। विधिक शिक्षा की तीन महत्वपूर्ण संकल्पनाये हो सकती है । पहली सत्य की खोज हो, दुसरी मानव के जीवन स्तर में सुधार हो वास्तविकता के धरातल पर और तीसरा बौद्रिक एवम शारिरीक श्रम का विकास हो। इसके साथ ही यह कहा जा सकता है कि विधिक शिक्षा भारतीय परम्परा में आर्थिक ,सामाजिक पर्यावरणीय विकास में एक दुसरे से जुडे है। विधि का क्षेत्र इतना व्यापक है कि मानव जीवन के विकास का अभिन्न अंग बन चुका है ।

आज की अर्थ प्रधान दुनिया में विधिक शिक्षा स्वंय एक वस्तु के समान बन चुकी है। जो कि आर्थिक लाभो के उद्देश्य से उपयोग में लाई जा रही है । वर्तमान परिवेश में हमारा ध्यान केवल उन्ही दक्षताओ पर है ।

जो कि विधि व्यवस्था के लिये उपयोगी है तथा विधिक शिक्षा का स्तर ऐसा होना चाहिये जिससे समाज में रहने वाले सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को लाभ पहुचाने मे मददगार
हो सके ।

विधि शिक्षा का अर्थ विषय का ज्ञान देना या अनुशासन और चारित्रिक विकास करना मात्र नही है। मौजुदा विधि शिक्षा प्राप्त कर लेने वालें व्यक्ति को चाहिये वह एक ऐसा माहौल तैयार करे कि जो हमारी भावी पीढ़ी में विश्वास ,प्रेम,सहयोग और आत्मीयता भर सके। वह न केवल व्यक्ति को खुद की क्षमताओ के प्रति जागरूक करे बल्की उन्हे जीवन के समूता के साथ जीने के लिये प्रेरित करे । तथा इसके साथ ही सह जीवन के मुल्यों को भी प्रेरित करे । यह लक्ष्य स्वाभाविक रूप सें व्यक्ति और समाज के जीवन में खुशहाली भर देगे ।

परमात्मा – प्रकृति – मानव

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी।।
गीता 16.14।।

नौवेन्द्र सिंह रावत

मनुष्य सोचता है कि हम सर्वसमर्थ है, ईश्वर है, हमारे पास भोग-सामग्री बहुत है, हम सिद्ध है, हम बड़े बलवान और सुखी है।

वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य लगभग वो हर कार्य कर रहा है जो 5 वर्ष पहले तक एक दिवास्वप्न की भांति थे. विज्ञान आज नैनो पार्टिकल से लेकर अनंत ब्रह्माण्ड में दूसरी पृथ्वी (रहने लायक ग्रह) तक की खोज कर रहा है.प्रौद्योगिकी के कारण आज ये पृथ्वी एक छोटे गाँव जैसी हो गयी है जिसमें हर किसी की पहुँच हर कहीं है।

अपनी प्रगती के इसी दम्भ में मनुष्य स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा है। जैसे कि आजकल एक शब्द काफी प्रचलन में है "अहम् ब्रह्मास्मि" जिसका "अनर्थ" लगाया जा रहा है कि "मैं ही भगवान हूँ" हालाँकि हमारे वेदों के चार ब्रह्मवाक्यों में से एक इसके अर्थ काफी गहरे और भिन्न है, परन्तु वर्तमान में मनोरंजन का आवरण ओढे और फूहड़-अश्लीलता के प्रतीक "वेब सीरीज" और सोशल मीडिया ही युवा पीढ़ी के ज्ञान के स्त्रोत है.

खैर,स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए मनुष्य ये भूल जाता है कि वह कितनी भी तरक्की कर ले पर एक बीज वो कभी नहीं कर पाएगा और जो इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का आधार है, वह है "जीवन"। स मनुष्य जीवन को समाप्त कर सकता है परन्तु एक चींटी भी "पैदा" नहीं कर सकता। अतः मनुष्य अपना भ्रम जितना जल्दी त्याग दे उसके लिए श्रेयस्कर होगा । परमात्मा का ही प्रतिरूप है प्रकृति और अपने विकास के क्रम में मनुष्य ने प्रकृति को तहस-नहस किया है और जब प्रकृति मानव को अपनी हदें बताती है तब यह अहंकारी जीव "अहम् ब्रह्मास्मि" से 'त्राहिमाम त्राहिमाम' की स्थिति में आ जाता है। ये उस परमात्मा की चेतावनियां ही है चाहे फिर वह 2004 की सुनामी हो, 2010 का हैती का भूकंप हो या वर्ष आई थी। में आई कोरोना महामारी जो लाखो जान ले चुकी तथा अभी खत्म नही हुई है। इसके अलावा भी वर्ष 2020 के पूर्वार्ध में कई प्रकार की आपदाए पुरे विश्व में आई थी।

कहा जा रहा है कि ये कोरोना महामारी प्राकृतिक न होकर मानव द्वारा निर्मित एक वायरस है परन्तु गीता में "योगेश्वर श्रीकृष्ण" कहते है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरी आज्ञा से ही होता है माध्यम चाहे कोई भी हो , मेरी इच्छा के विरुद्ध इस संसार में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता । वैज्ञानिकता का समानार्थी अधार्मिकता या नास्तिकता नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति में हिरण्यकश्यप से लेकर रावण से होते हुए कंस तक कितने ही उदहारण है, जब-जब मानव ने अपने को परमात्मा से ऊपर माना या उसका अपमान किया हमेशा धूमिल मति ही पायी है। वर्तमान आपदाये भी परमात्मा की चेतावनियों का ही स्वरुप है। जब आप केदारनाथ धाम को पहुँच की सुलभता के कारण श्रद्धा के स्थान की बजाय पिकनिक स्पॉट बना लेते है तो उनके क्रोध में समाहित गंगा चंद घंटो में ही लाखो लोगो का बोझ इस धरती से कम कर देती हैस परमात्मा से स्पर्धा त्याग कर उसके शरणागत रहना ही सम्पूर्ण मानव जाती के लिए श्रेयस्कर है।

तथेषकर भारत की युवा पीढ़ी को पश्चिम अंधानुकरण' की बजाय अपनी वृहद एवं वैभवशाली संस्कृति को अपनाना और उसका पालन करना चाहिए। हमारे ग्रंथो को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वे अतुल्य है। विश्व में कही आपको "ईश्वर की संतान" मिलेगी या कही "ईश्वर के दूत" मिलेंगे, पर स्वयं ईश्वर आपको इस सनातन संस्कृति में ही मिलेंगे. अस्तु....

एक मुलाकात

सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा जिन्होने ब्रज की पावन धरा से अपने जीवन की शुरूआत की और प्रारंभिक शिक्षा वृंदावन में ग्रहण करने के पश्चात आप ग्वालियर आ गए और यहीं पर बाकी की शिक्षा प्राप्त की या यू कहे कि आपके जीवन का निर्माण ग्वालियर मे ही हुआ और यही से शानदार भविष्य की नींव मजबूत हुई विधि के क्षेत्र में अधिवक्ता के रूप में शुरू की गई पारी जिला न्यायाधीश के पर से सेवा निवृत्त के साथ समाप्त हुई आपके सेवा कालीन अनुभवो पर परिचर्चा:-

अशोक कुमार शर्मा

1.- आपकी जिंदगी में दिशा निर्देशक स्तम्भ कौन से थे? आपके लम्बे सफल न्यायिक जीवन में कितने उद्देश्य पूर्ण हुए

मेरी जिंदगी में कोई गाइडिंग फिलोसोफी नही थी. 8 वी वृन्दावन (उत्तर प्रदेश) से पास की. फिर ग्वालियर में हाई स्कूल में एडमीशन लिया. उस समय 9वी क्लास से ही साइंस और आर्ट्स का विभाजन था. बड़े भाइयो कि तरह मै भी इंजीनियर बनना चाहता था.मेरे भाई ने ये कहते हुए की गणित कठिन रहेगा मुझे पाइथागोरस प्रमेय हल करने को दे दी. उसकर मैने प्रवेश प्रपत्र में बायोलॉजी लिख दिया.

११वी के बाद पी एम टी में उत्तीर्ण न होने के कारण मेडिकल में न जा सका. फिर मैने बैच (Botany) करने के बाद स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया. मेरे पिता हमेशा पढ़ने के लिए कहते थे परन्तु उस समय तक मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी रुचि किसमें है. उसी दौरान मेरे चाचा जो दीवानी के नामी वकील थे,उनके एक जूनियर ने मुझे वकील बनने की सलाह दी.

मैंने 1974 में विधि की परीक्षा पास की. उस समय एम.एल.बी. महाविद्यालय में विधि की कक्षाएं शाम 5:30 से लगती थी. एलएलबी. की पढ़ाई के दौरान ही मै जीवाजी विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान (Botany) विभाग में भंडार अधिकारी (tore Officer) भी रहा.

एलएलबी. खत्म होते होते मेरी रुचि विधि में जाग्रत हो गयी थी. इसलिए डिग्री पूरी होते ही मैंने विश्वविद्यालय से त्याग पत्र देकर अगले ही दिवस से वकालत शुरू कर दी. वकालत के दौरान मैंने सोचा था कि मै श्री जेपी.गुप्ता(फौजदारी के बड़े वकील) की तरह बनूँगा. मेरे चाचाजी मुझसे कहते थे कि तुमको वकालत में शुरुआत में दाल-रोटी आसानी से मिल जाएगी परन्तु अच्छा पैसा 40 की उम्र के बाद ही मिलेगा. इसी बीच 1979 में एक साथी वकील ने बताया कि सिविल जज की रिक्तिया निकली है. मैंने तैयारी की और मप्र. की मेरिट में मेरा दूसरा स्थान आया ।

2003 में मै डिस्ट्रिक्ट जज बना. अपनी सेवा के दौरान मैंने वो सभी स्थान प्राप्त किये जो अच्छे न्यायाधीशों को मिलते है. मै मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतर्कता जज, परिवार न्यायालय जज रहा. मेरी इच्छा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की थी परन्तु वो उम्र की सीमाओं के कारण पूरी न हो सकी. मै अपने कार्य से संतुष्ट था तथा जज के काम में मुझे बहुत सुकून भी मिला. उच्च न्यायालय भी हमेशा मुझसे खुश रहा.

2.- क्या आपके न्यायालयीन समय के दौरान कभी ऐसी संवेदनशील परिस्थिति आई जिसमे आपको न्याय व्यवस्था तथा अपने न्याय निर्देशक सिद्धांतो में सामंजस्य बैठाना था.

जज अपने न्यायायलय में सर्वोच्च होते हुए भी कानून से बंधा होता है. एक बार मेरे न्यायालय में एक 30-35 वर्षीय महिला जो अध्यापिका थी का मामला आया. वह अपने पति और बच्चो को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी जो उसका सहकर्मी अध्यापक था. महिला का एक बच्चा 8-10 साल का तथा दूसरा 10-12 साल का था. मैंने उस महिला से कहा कि अपने पति के साथ जाओ और अपने बच्चो का पालन पोषण करो. पति को छोड़कर ऐसे रहना ठीक नहीं, परन्तु उसने मना कर दिया. उसके बच्चे उससे लिपट कर रो रहे थे और उसका पति भी दुखी था.मै भी चाहता था कि महिला अपने पति के सह जाए परन्तु कानूनन एक वयस्क की इच्छा का भी सम्मान करना था. न्यायालय के अंदर और बाहर वातावरण महिला के खिलाफ था, इसलिए उसने सुरक्षा की मांग की. मैंने महिला को पुलिस सहायता दी और अपनी इच्छा के विरुद्ध उसे, जहाँ वह जाना चाहती थी, भेजा. उसके पति को समझाया कि अधिवक्ता के माध्यम से अन्य व्यक्ति के खिलाफ धारा 198 भा. द. सं. की रिपोर्ट लिखाए ।

एक अन्य प्रकरण में एक मुस्लिम युवक ने एक सांड जो गाँव में किसी भी खेत में घुसकर फसलों का नुकसान करता था, को भला मार दिया. भला उसकी गर्दन में लगा, खींचने पर उसका डंडा निकल आया परन्तु उसका नुकीला फल गर्दन में ही फंसा रहा. 6-4 दिन के बाद सांड मर गया. पुलिस ने उस मुस्लिम युवक को धारा 429 भा.द.सं. में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. गाँव में हिन्दू-मुस्लिम तनाव हो गया और युवक के घरवाले अपने रिश्तेदारों के यहाँ इंदौर भाग गए. जमानती अपराध था इसलिए मुझे जमानत स्वीकार करनी पड़ी, परन्तु मैंने उसके अधिवक्ता से कहा कि अभी 10-15 दिन इसकी जमानत प्रस्तुत न करे अन्यथा भीड़ उस युवक को नुकसान पहुंचा सकती है. वकील तैयार हो गए और मामला शांत होने के बाद उसकी जमानत हुई. ऐसी परिस्थितिओ में मजिस्ट्रेट को कानून का पालन करते हुए व्यावहारिक भी होना पड़ता है.

3. आप प्रकरणों को न्यायालयीन समय में किस अनुक्रम में सुनवाई करते थे ?

- जज जब दीवानी मामलों की सुनवाई करते है तब वह सिविल जज या अति.जिला जज या जिला जज कहलाते है तथा जब वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करते है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशंस जज कहलाते है. प्रतिदिन की बोर्ड डायरी या कॉज लिस्ट में आपराधिक एवं दीवानी दोनों प्रकार के मामले होते है. न्यायिक अधिकारी को अपनी बोर्ड डायरी कण्ट्रोल करना सिखाया जाता है.

हम कोशिश करते है कि ऐसे प्रकरण जिसमे अभियुक्त जेल(न्यायिक अभिरक्षा) में हो उनकी सुनवाई सबसे पहले हो, ऐसे प्रकरणों की तारीख भी पास की (15 दिन के अंदर) दी जाती है. फिर वृद्धो व महिलाओ के मामले लिए जाते है. कोशिश होती है कि बोर्ड डायरी में प्रविष्ट प्रत्येक प्रकरण की सुनवाई हो.

4. न्यायिक सुरक्षा के सुसंगत तथ्य क्या है. कि सुरक्षा दी जाये या नहीं. आप किस पर अधिक बल देंगे.

- पुलिस सुरक्षा सामान्यतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है. किन्तु आवश्यकता पड़ने पर गंभीर प्रकरणों (बलात्कार,हत्या आदि) में विचारण न्यायालय भी तात्कालिक रूप से पुलिस सुरक्षा देते है. परिस्थिति अनुसार गवाहों को भी पुलिस सुरक्षा दी जाती है. पुलिस सुरक्षा व्यथित व्यक्ति की याचना पर संक्षिप्त जांच के उपरांत दी जाती है.

5. कृपया न्यायालय में न्यायिक अधिकारियो द्वारा किये जाने वाले व्यवहार के बारे में बताएं.

- न्यायालय में जज व्यर्थ के वार्तालाप नहीं करते. हम जूनियर अधिवक्तागण से प्रेम से और प्रसन्नचित होकर बात करते है. सीनियर अधिवक्तागण जजों को प्रकरण एवं सम्बंधित कानून की जानकारी देते है. जज पक्षकारो से शालीनतापूर्वक बातें करते है. वृद्धों,प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गवाही के समय बैठने हेतु कुर्सी दी जाती है.यदि कोई व्यक्ति समझाइस देने पर भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता तो, उसे धीमी आवाज में कठोरता से बता दिया जाता है कि यह न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है और न मानने पर उसे दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार दण्डित भी किया जा सकता है।

कोर्ट ऑफिस में जब कोई गणमान्य व्यक्ति आते है, तो उनकी समस्या सुनी जाती है परन्तु राजनैतिक बाते नहीं होती।

शाम को न्यायालयीन समय के उपरांत हम जज टेबल टेनिस,बैडमिंटन,शतरंज आदि खेलते है.इस दौरान सभी जजों से उनके पद व वरीयता का ध्यान रखते हुए बातचीत करते है.

6. क्या कभी किसी प्रकरण को निर्णीत करते समय ऐसा हुआ कि आप इतने विचलित हुए कि आपको रात को नींद नहीं आयी?

- जब मैं विशेष न्यायाधीश था,तब एक दोहरे हत्याकांड का प्रकरण मेरे समक्ष आया. पास के गाँव में एक महिला अभियुक्त से प्यार करती थी. अभियुक्त ने उससे विवाह किया जिससे एक लड़का हुआ. लगभग 3 वर्ष के बाद अभियुक्त ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी औरत से प्रेम करने लगा. जिस पर पंचायत बैठी जिसमे अभियुक्त के पिता ने अभियुक्त को मिलने वाले हिस्से में से 2 बीघा जमीन उस महिला के नाम कर दी. तत्पश्चात अभियुक्त ने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया. इसके बावजूद भी पूर्व पत्नी अभियुक्त से मेल जोल रखे रही. एक दिन उसके दांत में दर्द हुआ तो उसने अभियुक्त को बुलाया जो अपने एक मित्र के साथ आया और पूर्व पत्नी को डॉक्टर को दिखाने शहर ले गया.

डॉक्टर को दिखाने के बाद अभियुक्त उसे फिल्म दिखाने ले गया उसके बाद दवाइया खरीदने के बहाने कुछ और समय लगाया, इस प्रकार लौटते लौटते रात हो गयी. लौटते समय रात्रि लगभग 9 बजे अभियुक्त एक जंगल में रुका, वहां उसने और उसके मित्र ने शराब पी तथा महिला को भी पिलायी,महिला का बच्चा वहीं खेल रहा था,जब तीनो पर नशे का प्रभाव हो गया तब अभियुक्त और उसके मित्र दोनों ने उस महिला जो उस समय अभियुक्त से ही गर्भवती थी के साथ पहले बलात्कार किया फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी, तथा लगभग 2 साल के मासूम जो स्वयं उसका भी पुत्र था,को भी मार डाला. अभियुक्त तथा उसके मित्र ने पास ही एक गड्ढा खोदा और महिला तथा उसके बच्चे को उसमे दबा दिया,उसके बाद दोनों मित्र गाँव पहुंचे और मृत महिला के पिता से महिला के पिता से महिला के बारे में पूछा,जब उसने कहा कि वह नहीं आयी तो अभियुक्त ने उसे कहानी सुनाई कि पिक्चर के बाद

वह महिला को वहीं छोड़कर दवाई लेने गया था. जब लौट कर आया तो वह वहां नहीं थी कुछ देर शहर में ढूंढने पर नहीं मिली तो सोचा कि गांव चली गयी होगी,इसलिए यहाँ आया.इस पर महिला के पिता ने अभियुक्त के साथ शहर आकर थाने में रिपोर्ट लिखाई.

पुलिस ने शक के आधार पर अभियुक्त को रात में थाने में बैठा लिया तो रात्रि में ही उसने सब सच उगल दिया,उसके मित्र ने सुबह रेल से कटकर आत्महत्या कर ली.पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल से तहसीलदार कि उपस्थिति में लाशें बरामद की.

अभियुक्त ने अपनी पूर्व पत्नी जो छोड़ने के बाद भी उसी से प्यार करती थी और उसी के भरोसे शहर इलाज करने आयी थी के साथ विश्वासघात करके उसकी और स्वयं से उत्पन्न पुत्र तथा महिला के पेट में स्थित अपने अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी थी.

यह मामला मानवीय सम्बन्धो में विश्वास भंग का था.

इसके अलावा और कोई मामला मेरे समक्ष नहीं आया जिसमे मुझे फैसले से पहले रात को नींद न आयी हो.मई मामले के तथ्यों को पहले से पढ़ कर अपना मत निर्धारित कर लेता था कि यह मामला सजा का है या दोषमुक्ति का.

7. क्या आपके न्यायालय में कभी कोई मजाकिया स्थिति उत्पन्न हुई?

- एक भरण पोषण के मामले में,पति बैंक में तथा पत्नी जीवन बीमा निगम में काम करती थी. दोनों एक दूसरे को चाहते थे. पत्नी का पिता सेनि. उप पुलिस अधीक्षक तथा पति का पिता सेनि. प्राचार्य था. दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ रहे थे.पति पत्नी और उनके 7-8 साल के बच्चे का जीवन खराब हो रहा था. एक पेशी पर पति ने मुझसे पूछा सर, क्या मै अपनी पत्नी को न्यायालय से अपने साथ ले जा सकता हूँ. मैंने पत्नी से पूछा तो वह बोली मै साथ जाने तैयार हूँ.बच्चा साथ आया था. उन्होंने 15 दिनों के लिए तिरुपति जाने का प्रस्ताव रखा. मैंने उनके अधिवक्तागण से कहकर उन्हें 20000 रूपये दिलवाये और वे दोनों उसी दिन चले गए.

दूसरे दिन दोनों के पिता मेरे कोर्ट में आये और कहा कि हमारे पुत्र व पुत्री अपने अपने घर नागदा और उज्जैन नहीं पहुंचे. मैंने उनको बतलाया कि वो दोनों पति-पत्नी है,साथ कहीं गए है. उनके वकीलों ने भी हामी भरी परन्तु उन्हें ये नहीं बताया कि वे कहा गए है.

8 दिन बाद वे वापस आये और बताया कि उप पुलिस अधीक्षक और प्राचार्य दोनों तभी से नागदा में प्राचार्य के घर रह रहे है.मामला राजीनामे में खत्म हो गया.वे लोग सुखी है.

8. क्या कभी आपके कार्य स्थल पर आपकी सहन शक्ति की सीमा को चुनौती देने वाली स्थिति उत्पन्न हुई? आपने उसे किस प्रकार सम्हाला? क्या आपने जो किया उससे अलग भी कुछ कर सकते थे?

- परिवार न्यायालय में एक बच्चे की अभिरक्षा का मामला चल रहा था जिसकी माँ मर गयी थी,नानी ने बच्चे की अभिरक्षा के लिए वाद किया था,बच्चा अपने पिता के साथ रह रहा था और पिता अपने घर में अकेला था.

मामले के दौरान पिता ने परेशान होकर एक पेशी पर आवेदन दिया कि वह बच्चे को उसकी नानी को सौंपना चाहता है,नानी बच्चे को लेने आगे आयी तो बच्चे ने जाने से इंकार कर दिया और जोर जोर से रोने लगा,मौसी ने बच्चे को फुसलाया परन्तु वह नही माना,बच्चे का पिता जब बच्चे को छोड़कर जाने लगा तो वह और जोर से रोने लगा,मै भी दुखी हुआ,फिर सोच विचार कर मैंने उसकी नानी को बुलाकर कहा कि बच्चे का पिता भी 15 दिन बच्चे के साथ तुम्हारे घर रहेगा. तुम बच्चे के मन में प्रेम पैदा करो, वह सहमत हो गयी. बच्चे का पिता उसे लेकर जिनसे झगड़ा था उन्ही के घर रहने लगा, 15 दिन बाद पिता अपने घर चला गया. एक माह बाद बच्चे के पिता का विवाह बच्चे की मौसी से हो गया. बच्चा अब सुखी है और स्कूल में पढ़ रहा है मै बच्चे को दोनों में से किसी को न देकर बाल गृह भेज सकता था, परन्तु बच्चा वहां और दुखी होता. हम वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को पहले देखना होता है.

9. वर्तमान में न्यायिक अधिकारी कार्यकारी पदों पर भी पदस्थ किये जा रहे हैं. क्या इससे अलग भी कुछ कर सकते थे ?

- जहां तक सेनि. जज को कार्यकारी पद पर रखने का सम्बन्ध है,यह उचित है. वे कानून की समझ रखते है,न्याय करना उनकी आदत बन चुकी होती है. इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई आंच नही आती सेनि. जज कार्यकारी पद पर भी अपनी न्यायिक स्वतंत्रता बनाये रखते है.

10. सामंती ब्रिटिश युग में न्यायिक निर्णयों की आलोचना अथवा निर्णयों के औचित्य पर प्रश्न उठाना न्यायिक अवमानना माना जाता था.क्या इस सम्बन्ध में भारतीय नागरिक अपने प्रश्नो से प्रतिबंधित है?

- न्यायिक फैसलों की संविधान के अंतर्गत स्वस्थ आलोचना अवमानना नही होती. न्यायविद सिरवई ने उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों में सुधार हेतु आलोचना की. इस पर एक किताब भी लिखी. उनकी आलोचना के प्रकाश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने बाद के फैसलों में सुधर किये है,परन्तु न्यायालय के किसी फैसले की आलोचना व्यक्तिगत अथवा जज के ज्ञान की कमी को लेकर नही की जानी चाहिए.

11. अंत में, श्रीमान उन छात्रों को जो अधिवक्ता या जज बनना चाहते है के लिए आशीर्वचन रुपी क्या सुझाव देंगे जिससे वे अपने मूल्यों का निर्धारण का सकें.

- छात्रों को मेरी सलाह है कि कानून (विधि) को गम्भीरतापूर्वक पढ़ें,उसे आत्मसात करें,व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाए और उनके परिणाम ही समय की कसौटी पर घिसते हुए कानूनी रूप धारण करते है,कहा जाता है कि कानून 80: सामान्य ज्ञान और 20: तकनीक होती है. वकीलों को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए. वकील कोर्ट अफसर होते है. उन्हें न्यायालय को कमाई का स्थान नही बल्कि अपने पक्षकार को न्याय दिलाने का मंदिर समझना चाहिए,गुजरात में न्यायालय को न्याय मंदिर कहते है. जज भी दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्षता से निर्णय देते है,न्यायालय अधिवक्तागण का सम्मान करते है. उनके तर्कों को ध्यान से सुनते है फिर तर्कों को ध्यान में रखते हुए सत्य के आधार पर कानून की सहायता से निर्णय करते है. कहा जाता है कि अधिवक्ता और जज न्यायिक रथ के 2 पहिये होते है और दोनों की सहायता से न्याय रथ अपने लक्ष्य की ओर चलता है.

YEARLY ROUND-UP

ORGANISED BY MAHATMA GANDHI COLLEGE OF LAW

INTER COLLEGE YOUTH FESTIVAL ORGANISED BY MGCL

जेयू में रैली से युवा उत्सव का आगाज आज, 1500 प्रतिभागी दिखाएंगे हुनर

ग्वालियर | नईदुनिया रिपोर्टर

इन विधाओं का होगा मूल्यांकन, विजेता होंगे अंतिम दिन पुरस्कृत

भवभूति समारोह 7 जनवरी से, शिरकत करेंगे देशभर के विद्वान

MRAGNAYANI YUTHFEST DEC.19

FIRST MAGAZINE LAUNCH - 2019

MGCL STUDENT WITH THE THEN HEALTH MINISTER

VIDHI DIWAS 19

YEARLY ROUND-UP

ORGANISED BY MAHATMA GANDHI COLLEGE OF LAW

REPUBLIC DAY - 2020

INDEPENDENCE 2020

GANESH UTSAV

GANDHI- SHASHTRI JAYANTI

YEARLY ROUND-UP

ORGANISED BY MAHATMA GANDHI COLLEGE OF LAW

CHAIRMAN WITH RENOWNED BHOJPURI ACTOR

THE PLAY "MASTERPIECE"

YEARLY ROUND-UP

ORGANISED BY MAHATMA GANDHI COLLEGE OF LAW

MGCL
CHRONICLE

LAW MAGAZINE OF THE
MAHATMA GANDHI COLLEGE OF LAW, GWALIOR

A JOURNAL OF MAHATMA GANDHI COLLEGE OF LAW
(Institute Of Legal Education & Research, Gwalior)
(Campus: Cancer Hills Road, Gwalior - 474001. Telefax: 91-751-243i760. Www.mgcl.edu.in Email: Mgcollegeoflaw@gmail.com)
Published By Mgcl For Internal Academic Circulation Only
The Publisher Retains The Copyright Ownership Of All Materials Published Herein And Is Not Responsible For Any Personal Views/ Errors, If Any, Of Contributors/ Authors Expressed Herein.
Print & Design By Ashish pandoliya, Infinite Design Lab, Gwalior, +91 9589467825